

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक
तीसरी वार्षिक रिपोर्ट
2023-2024

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड) के बारे में:

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (नैबफिड अधिनियम, 2021) को 28 मार्च, 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई और यह 19 अप्रैल, 2021 से प्रभावी हो गया. राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड/ संस्था) की स्थापना भारत में लंबी अवधि के बुनियादी फ्रेमवर्क के वित्तपोषण के विकास का समर्थन करने के लिए एक विकास वित्तीय संस्था (डीएफआई) के रूप में की गई है. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपने 8 मार्च, 2022 के पत्र के माध्यम से सलाह दी है कि नैबफिड को आरबीआई द्वारा क्रमशः आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45L और 45N के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (एआईएफआई) के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाएगा. नैबफिड ने दिनांक 29 दिसंबर, 2022 से अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है.

नैबफिड के विकासात्मक और वित्तीय दोनों उद्देश्य हैं. विकासात्मक उद्देश्यों में भारत या भारत के बाहर केंद्र और राज्य सरकारों, नियामकों, वित्तीय संस्थानों, संस्थागत निवेशकों और ऐसे अन्य संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय करना शामिल है, ताकि दीर्घकालिक गैर-घरेलू बांड और डेरिवेटिव बाजार सहित भारत में सहारा अवसंरचना वित्तपोषण वित्तीय उद्देश्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना और भारत में स्थित या आंशिक रूप से भारत में स्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों से निवेश आकृष्ट करना शामिल है ताकि निरंतर आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके.

हमारा लक्ष्य

“हमारा लक्ष्य भारत के परिवर्तनशील विकास हेतु बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण को उत्प्रेरित करते हुए प्रभावी निवेश का विश्व स्तर परमान्यता प्राप्त प्रबल प्रदाता बनना है।”

हमारा मिशन

“हमारा मिशन नवाचार, पर्यावरण और स्थिरता पर जोर देने के साथ बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए प्रमुख प्रवर्तक बनना है।”

निदेशक मंडल (यथा 21 मई, 2024)

1. श्री. के. वी. कामथ, अध्यक्ष
2. श्रीमती. अरुणा सुंदरराजन, स्वतंत्र निदेशक
3. श्री. बी. श्रीराम, स्वतंत्र निदेशक
4. श्री. टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक
5. श्री. एल. वी. प्रभाकर, स्वतंत्र निदेशक
6. श्री. एन. एस. कन्नन, स्वतंत्र निदेशक
7. श्री. सुरेश पटेल, स्वतंत्र निदेशक
8. श्री. भूषण कुमार सिन्हा, केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक (संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय)
9. श्री. राजीव सिंह ठाकुर, केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक (अतिरिक्त सचिव, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग {डीपीआईआईटी}, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)
10. श्री. राजकिरण राय जी., प्रबंध निदेशक
11. श्री. बी. एस. वेंकटेश, उप प्रबंध निदेशक - मुख्य जोखिम अधिकारी
12. श्रीमती. मोनिका कालिया, उप प्रबंध निदेशक - मुख्य वित्तीय अधिकारी
13. श्री. सैमुअल जोसेफ जेबाराज, उप प्रबंध निदेशक - ऋण एवं परियोजना वित्त

बोर्ड समितियां (यथा 21 मई, 2024)

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

श्रीमती. अरुणा सुंदरराजन, अध्यक्ष
श्री. बी. श्रीराम
श्री. टी.एन. मनोहरन
श्री. एल.वी. प्रभाकर
श्री. भूषण कुमार सिन्हा

लेखा परीक्षा समिति

श्री. टी. एन. मनोहरन, अध्यक्ष
श्रीमती. अरुणा सुंदरराजन
श्री. एल.वी. प्रभाकर
श्री. एन. एस. कन्नन

जोखिम प्रबंधन समिति

श्री. बी. श्रीराम, अध्यक्ष
श्री. के. वी. कामथ
श्रीमती. अरुणा सुंदरराजन
श्री. एल.वी. प्रभाकर
श्री. राजकिरण राय जी.

कार्यकारी समिति

श्री. राजकिरण राय जी, अध्यक्ष
श्री. एल.वी. प्रभाकर
श्री. एन.एस.कन्नन
श्री. सुरेश पटेल

हितधारक संबंध समिति

श्री. सुरेश पटेल, अध्यक्ष
श्री. टी.एन. मनोहरन
श्रीमती. मोनिका कालिया
श्री. सैमुअल जोसेफ जेबराज

सामान्य जानकारी

कार्यालय का पता:

द कैपिटल, ए विंग, 15वीं मंजिल- 1503,
जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051
टेलीफोन: 022 41042000
ई-मेल आईडी: contact@nabfid.org
वेबसाइट: www.nabfid.org

सांविधिक लेखा परीक्षक:

मेसर्स जे सिंह एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
505,506 और 507, 5 वीं मंजिल, हब टाउन विवा,
शंकर वाडी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे,
अंधेरी और जोगेश्वरी (पूर्व) के बीच,
मुंबई – 400060

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट:

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
सी 101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग,
विक्रोली (पश्चिम), मुंबई – 400083
टेलीफोन: 022 49186000
वेबसाइट: www.linkintime.co.in

डिबेंचर ट्रस्टियों का विवरण

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड
एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड, द रूबी,
द्वितीय तल, एसडब्लू 29, सेनापति बापट मार्ग,
दादर पश्चिम, मुंबई- 400 028
टेलीफोन: 022 6230 0451
ई-मेल आईडी: debenturetrustee@axistrustee.in
वेबसाइट: www.axistrustee.in

कंपनी सचिव:

सुश्री. ऐश्वर्या म्हात्रे

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ ने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड /संस्था) की तीसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में खुशी हो रही है।

वित्त वर्ष 2024 के लिए वित्तीय प्रदर्शन

नैबफिड ने अपने परिचालन के पहले पूर्ण वर्ष में मजबूत प्रदर्शन किया है। 31 मार्च, 2024 तक नैबफिड की बैलेंस शीट का आकार 55,128 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23: 27,134 करोड़ रुपये) था, जिसमें 35,342 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23: 9,754 करोड़ रुपये) का उधार पोर्टफोलियो बकाया था। नैबफिड की कुल उधारी 25,016 करोड़ रुपये थी, जिसमें 5,500 करोड़ रुपये के बैंक उधार और 19,516 करोड़ रुपये के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) शामिल थे, जिनमें से 10,000 करोड़ रुपये की अवधि 10 वर्ष और 9,516 करोड़ रुपये की अवधि 15 वर्ष थी और ये एनसीडी स्टॉक एक्सचेंजों (यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) में सूचीबद्ध हैं। 665.52 करोड़ रुपये उधारकर्ताओं के पास बकाया गैर-निधि सुविधाओं से संबंधित हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, नैबफिड ने वित्त वर्ष 2022-23 में 1,127 करोड़ रुपये के मुकाबले 3,084 करोड़ रुपये की कुल आय दर्ज की। कुल आय में 2,850 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23: 1,122 करोड़ रुपये) की वित्तपोषण और निवेश गतिविधियों से आय और 231 करोड़ रुपये की अन्य आय शामिल थी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, नैबफिड ने अंतर्निहित वित्तीय साधनों के सापेक्ष 24,500 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23 - शून्य) की विचारमूलक राशि का INR ब्याज दर स्वैप किया है। ब्याज दर स्वैप का वर्ष के लाभ और हानि खाते पर 23 करोड़ रुपये का संचयी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसमें अन्य आय के रूप में स्वीकृत 129.80 करोड़ रुपये के मार्क टू मार्केट ("एमटीएम") लाभ को अंतर्निहित के उचित मूल्यांकन के कारण 152.80 करोड़ रुपये के नुकसान से ऑफसेट किया गया। वर्ष के लिए समेकित ब्याज व्यय 1,288 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23: 3.29 करोड़ रुपये) था, जो वित्तीय वर्ष के दौरान उठाए गए कर्ज के कारण वृद्धि थी। परिसंपत्ति की गुणवत्ता अच्छी रही है, उधारकर्ताओं की रेटिंग में कोई गिरावट नहीं आई है। तदनुसार, सकल गैर-निष्पादित संपत्ति ("जीएनपीए") शून्य है और लाभ और हानि खाते में केवल मानक संपत्ति प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान, नैबफिड का कर के बाद लाभ 1,601.64 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23: 1,046.39 करोड़ रुपये) है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंकों का परिणामी रिटर्न ऑन एसेट्स ("आरओए") ~ 4.8% था और इक्विटी पर रिटर्न ("आरओई") ~ 7.2% था।

पूंजी संरचना

नैबफिड अधिनियम, 2021 की धारा 5 के अनुसार, संस्था की अधिकृत शेयर पूंजी 1,00,000 करोड़ रुपये होगी, जिसे 10 रुपये प्रति शेयर के दस हजार करोड़ पूर्ण चुकता शेयरों में विभाजित किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022 में भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी डाली। 7 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के अनुसार, संस्था के 10 रुपये अंकित मूल्य के 20,000 करोड़ रुपये के पूर्ण चुकता शेयर 'भारत के राष्ट्रपति' के नाम पर केंद्र सरकार को आवंटित किए गए हैं। संस्था की 100% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है।

अनुदान

नैबफिड अधिनियम, 2021 की धारा 21 के अनुसार 31 मार्च, 2022 को भारत सरकार से 5,000 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। अनुदान राशि को 6 जुलाई, 2023 के आरबीआई स्पष्टीकरण के अनुरूप नैबफिड की टियर I पूंजी के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। अनुदान राशि को वित्त वर्ष 2024 के दौरान सावधि जमा में निवेश करना जारी रखा जाता है और अनुदान राशि पर अर्जित ब्याज का उपयोग उधार दर को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे अनुदान प्रदान किए जाने वाले उद्देश्य की पूर्ति होती है।

लाभांश

नैबफिड की स्थापना बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के व्यवसाय को आगे बढ़ाने और उससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिए की गई है। चूंकि नैबफिड अपने संचालन के शुरुआती वर्षों में है, इसलिए निदेशक मंडल ने यह समझदारी भरा कदम माना है कि नैबफिड को अपनी पूरी आय को रिजर्व और अधिशेष में वापस लगाना चाहिए और संस्था के परिनियोजन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूंजी बढ़ानी चाहिए। तदनुसार, निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

आरक्षित निधि में स्थानांतरण

नैबफिड ने नैबफिड अधिनियम, 2021 की धारा 24 के अनुसार एक आरक्षित निधि की स्थापना की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, नैबफिड ने लाभ में से 320.32 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की है।

व्यावसायिक गतिविधियां

वित्त वर्ष 2022-23 की अंतिम तिमाही के दौरान नीतिगत ढांचे, प्रक्रिया और प्रणालियों से संबंधित गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए नैबफिड ने अपनी व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत की है और वित्त वर्ष 2023-24 परिचालन का पूर्ण वर्ष है। नैबफिड ने अपने परिचालन का विस्तार करना शुरू कर दिया है और विभिन्न बाजार खिलाड़ियों (सरकारी/निजी क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र) के साथ जुड़ना शुरू कर दिया है और विभिन्न क्षेत्रों के तहत विभिन्न ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड/परिचालन/पुनर्वित्त परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है। वर्ष 2024 के दौरान, संस्थान ने पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (पीसीएमसी) के बॉन्ड जुटाने के कार्यक्रम में 100 करोड़ रुपये की सीमा तक भाग लिया है।

प्रतिबंध पोर्टफोलियो का सारांश नीचे दिया गया है:

	31 मार्च 2024 तक राशि (करोड़ रुपए में)
कुल मंजूरी (आरंभ से संचयी)	1,01,840
निधि आधारित बुक बकाया (निवेश को छोड़कर)	35,342

वर्ग	स्वीकृति राशि (करोड़ रु. में)	% मंजूरी
परिवहन लॉजिस्टिक्स	55,668	54.7%
ऊर्जा	41,410	40.7%
संचार	300	0.3%
जल एवं स्वच्छता	341	0.3%
सामाजिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना	4,122	4.0%
कुल	1,01,840	100.0%

ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

नैबफिड की स्थापना नैबफिड अधिनियम, 2021 के तहत की गई है और तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(g) के साथ धारा 186 के प्रावधान दिए गए ऋणों, दी गई गारंटी या प्रदान की गई प्रतिभूतियों से संबंधित नैबफिड पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, इस रिपोर्ट में उपरोक्त धारा के तहत आवश्यक प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनियां

इस रिपोर्ट की तिथि तक नैबफिड के पास कोई सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश नैबफिड की चालू स्थिति और इसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करते हैं

विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और/या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है, जो नैबफिड की चालू स्थिति या भविष्य के परिचालनों को प्रभावित करता हो।

वर्ष के दौरान दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के अंतर्गत किए गए आवेदन या लंबित किसी कार्यवाही का विवरण तथा वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति

वित्त वर्ष 2024 के दौरान, नैबफिड ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में कोई आवेदन दायर नहीं किया है।

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का विवरण और उसके कारण

वित्त वर्ष 2024 के दौरान, किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एकमुश्त निपटान का कोई उदाहरण नहीं था।

नैबफिड की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

वित्तीय वर्ष के अंत, जिससे वित्तीय विवरण संबंधित हैं, तथा इस रिपोर्ट की तिथि के बीच नैबफिड की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी भौतिक परिवर्तन या प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं।

निदेशक मंडल और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की संरचना में परिवर्तन

नैबफिड के निदेशक मंडल की संरचना नैबफिड अधिनियम, 2021 की धारा 6 के अनुसार लागू नियमों और विनियमों के साथ पढ़ी जाती है।

2022-2023 की वार्षिक रिपोर्ट में 20 अप्रैल, 2023 तक नैबफिड के निदेशक मंडल की संरचना में होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया गया है। 21 अप्रैल, 2023 से 21 मई, 2024 के दौरान नैबफिड के निदेशक मंडल की संरचना में होने वाले परिवर्तनों का विवरण निम्नलिखित है :

1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने अपनी अधिसूचना एफ संख्या 15/10/2021-आईएफ-1 दिनांक 25 मई, 2023 के माध्यम से सूचित किया था कि नैबफिड अधिनियम, 2021 की धारा 6(1)(डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री. भूषण कुमार सिन्हा (डीआईएन:08135512) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय को श्री. पंकज जैन (डीआईएन:00675922) सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्थान पर नैबफिड के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। यह नियुक्ति 25 मई, 2023 से और भारत सरकार के अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण विनियम, 2022 के नियम 5(5) के तहत प्राप्त मंजूरी के आधार पर निदेशक मंडल ने 17 अक्टूबर, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में श्री. एल. वी. प्रभाकर (डीआईएन: 08110715), श्री. एन. एस. कन्नन (डीआईएन: 00066009) और श्री. सुरेश पटेल (डीआईएन: 07202263) को नैबफिड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में 18 अक्टूबर, 2023 से पांच साल तक की अवधि के लिए या शेयरधारक द्वारा चुने गए निदेशक द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख तक, जो भी पहले हो, के लिए मंजूरी दे दी। नैबफिड अधिनियम, 2021 की धारा 6(1) के पहले प्रावधान के अनुसार लागू नियमों और विनियमों के साथ पढ़ें। तदनुसार, श्री. सुरेश पटेल पहले सेवानिवृत्त होंगे, उसके बाद श्री. एल. वी. प्रभाकर और श्री. एन. एस. कन्नन।

3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने 29 अप्रैल, 2024 को ई-मेल के माध्यम से प्राप्त अपनी अधिसूचना एफ संख्या 15/10/2021-आईएफ-1 दिनांक 26 अप्रैल, 2024 के माध्यम से सूचित किया था कि नैबफिड अधिनियम, 2021 की धारा 6 (1)(डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री. राजीव सिंह ठाकुर (डीआईएन: 02631653) अतिरिक्त सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को सुश्री. सुमिता डावरा (डीआईएन: 01005516) सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्थान पर नैबफिड के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण विनियम, 2022 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों, जहां तक लागू हो, जिन्हें निदेशक मंडल ने 16 अप्रैल, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में नोट किया था, को पूरा करते हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नियुक्त स्वतंत्र निदेशक(यों) की ईमानदारी, विशेषज्ञता और अनुभव (प्रवीणता सहित)

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नैबफिड के निदेशक मंडल द्वारा नैबफिड अधिनियम, 2021 के अनुसार की जाती है, जिसे इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़ा जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई अर्थात् श्री एल.वी. प्रभाकर, श्री एन.एस. कन्नन और श्री सुरेश पटेल। नैबफिड का निदेशक मंडल पुष्टि करता है कि स्वतंत्र निदेशकों के पास स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता और अनुभव (दक्षता सहित) है और वे ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हैं।

आचार संहिता

नैबफिड के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित आचार संहिता है। उक्त संहिता नैबफिड की वेबसाइट <https://nabfid.org> पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

निदेशक मंडल की बैठकें

वित्त वर्ष 2024 के दौरान, नैबफिड के निदेशक मंडल की आठ बैठकें क्रमशः 20 अप्रैल, 2023, 01 जून, 2023, 19 जुलाई, 2023, 13 सितंबर, 2023, 03 अक्टूबर, 2023, 17 अक्टूबर, 2023, 25 जनवरी, 2024 और 27 मार्च, 2024 को आयोजित की गईं।

कॉर्पोरेट प्रशासन और अनुपालन

नैबफिड कॉर्पोरेट प्रशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और निरंतर प्रयास कर रहा है। संगठन के कामकाज में पारदर्शिता, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए, नैबफिड ने कॉर्पोरेट प्रशासन और अनुपालन के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं को सक्रिय रूप से अपनाया है। कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नैबफिड के पास अच्छी तरह से स्पष्ट नीतियां और नियंत्रण हैं। अनुपालन जोखिमों की मजबूत पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए नैबफिड का अनुपालन ढांचा सावधानीपूर्वक संरचित है। प्रासंगिक बने रहने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए नीतियों का निरंतर मूल्यांकन और अद्यतन करना एक सतत प्रयास है। नैबफिड की कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट और प्रमाणपत्र इस निदेशक की रिपोर्ट के साथ क्रमशः **अनुलग्नक - 1 और अनुलग्नक - 2** के रूप में संलग्न है।

लेखा परीक्षकों

17 जुलाई, 2023 को आयोजित दूसरी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारकों ने मेसर्स जे सिंह एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 110266W) को दूसरी एजीएम के समापन से लेकर तीसरी एजीएम के समापन तक नैबफिड के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त करने को मंजूरी दी थी। वित्त वर्ष 2024 के लिए ऑडिट रिपोर्ट में वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है।

मेसर्स जे सिंह एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लगातार तीन वर्षों से संस्था के वैधानिक लेखा परीक्षक रहे हैं, जो कि 27 अप्रैल, 2021 को वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए)/सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के लिए लागू आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार वैधानिक लेखा परीक्षकों के लिए अधिकतम कार्यकाल है और तदनुसार वे आगामी एजीएम के समापन पर सेवानिवृत्त होंगे।

लेखा परीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर, निदेशक मंडल ने 21 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में, शेयरधारक के अनुमोदन के अधीन, मेसर्स सी. एन. के एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 101961W/W-100036) को 3 साल की अवधि के लिए संस्था के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी और वे तीसरी एजीएम के समापन से छठी एजीएम के समापन तक लेखा परीक्षा पारिश्रमिक, अन्य रिपोर्टों/प्रमाणपत्रों के लिए शुल्क, जेब से किए जाने वाले खर्च और लागू करों के अनुसार, जैसा कि निदेशक मंडल या संस्था के बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है, पद पर बने रहेंगे। आगामी एजीएम की सूचना में मद संख्या 2 पर शेयरधारक को वैधानिक लेखा परीक्षकों की उक्त नियुक्ति का प्रस्ताव है।

सचिवीय लेखा परीक्षक और सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 24ए(1) के अनुसार, मेसर्स एल्विन जे एंड कंपनी, कंपनी सचिव, (फर्म पंजीकरण संख्या P2010MH02150) को वित्त वर्ष 2024 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस निदेशक की रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक-3** के रूप में संलग्न है। रिपोर्ट में लेखा परीक्षक द्वारा सिवाय उनके पेशेवर दायित्व के निर्वहन में उनके द्वारा किए गए अस्वीकरण के, कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण नहीं किया गया है।

वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

नैबफिड सेबी विनियमों और उसके तहत जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों के अनुसार सभी लागू अनुपालनों के लिए वित्त वर्ष 2024 के लिए ऑडिट किया गया है। वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की गई है और यह स्टॉक एक्सचेंजों (यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) की वेबसाइट और नैबफिड की वेबसाइट <https://nabfid.org> पर उपलब्ध है।

लागत अभिलेखों का रखरखाव

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की घटनाएं, यदि कोई हों

नैबफिड की स्थापना नैबफिड अधिनियम, 2021 के तहत की गई है और तदनुसार , धारा 143(12) का प्रावधान नैबफिड पर लागू नहीं होता है। हालाँकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, वैधानिक लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षा समिति को धोखाधड़ी की किसी भी घटना की सूचना नहीं दी है।

आंतरिक नियंत्रण और इसकी पर्याप्तता

नैबफिड के पास अपने वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाएं हैं जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती हैं। ये नियंत्रण और प्रक्रियाएं विभिन्न नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रमाणन के माध्यम से संचालित होती हैं। वित्तीय जानकारी की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता का पता लगाने के लिए नैबफिड इन नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता की जांच करता है।

संबंधित पार्टी लेनदेन

नैबफिड के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित संबंधित पक्ष लेनदेन नीति है। लेखांकन मानक -18 के तहत आवश्यक संबंधित पक्ष लेनदेन वित्तीय विवरणों के खातों के नोट्स में रिपोर्ट किए जाते हैं।

जोखिम प्रबंधन

निदेशक मंडल संस्था द्वारा उठाए गए सभी जोखिमों की निगरानी करता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) इकाई-व्यापी जोखिमों की निगरानी और एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। आरएमसी विभिन्न जोखिम प्रकारों के लिए सीमाओं के सापेक्ष

संस्था की जोखिम स्थितियों की समीक्षा करती है और साथ ही विभिन्न जोखिम प्रकारों के प्रबंधन के लिए गठित विभिन्न कार्यकारी स्तर की समितियों के संचालन की देखरेख करती है। एंटरप्राइज जोखिम प्रबंधन और जोखिम क्षमता ढांचा (ईआरएम और आरएएफ) समन्वित तरीके से विभिन्न पहचाने गए जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करता है और ऐसे पहचाने गए जोखिम प्रकारों के लिए संस्था की जोखिम क्षमता को निर्धारित करता है। यह रणनीतिक, सामरिक और लेन-देन संबंधी व्यावसायिक निर्णयों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर विचार करते हुए सिद्धांत स्तर की जोखिम क्षमता विवरण प्रदान करता है। इनका मूल्यांकन कुछ प्रमुख प्रभाव क्षेत्रों जैसे कि पूंजी पर्याप्तता, ऋण जोखिम, एकाग्रता जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम, परिचालन जोखिम (धोखाधड़ी जोखिम सहित), आईटी सुरक्षा जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, अनुपालन जोखिम और रणनीतिक जोखिम में किया जाता है। बोर्ड ने प्रत्येक प्रमुख जोखिम प्रकार अर्थात् ऋण नीति, निवेश नीति, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति, ऋण मूल्य निर्धारण ढांचा, आईसीएएपी नीति, तनाव परीक्षण नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, आउटसोर्सिंग नीति, व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन और आपदा रिकवरी नीति, सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन नीति और सूचना सुरक्षा नीति के प्रबंधन के लिए शासी ढांचा बनाने वाली नीतियों/ढांचे को मंजूरी दी है और उनका कार्यान्वयन जारी है। विभिन्न जोखिमों के स्वतंत्र मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए संस्थान में विभिन्न विभाग स्थापित किए गए हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यक जानकारी

नैबफिड के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नीति है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, नैबफिड ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण और उससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिए आंतरिक शिकायत समिति का भी गठन किया है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

नैबफिड की स्थापना नैबफिड अधिनियम, 2021 के तहत की गई है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(m) के प्रावधान कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ लागू नहीं होते हैं। इसलिए, इस रिपोर्ट में उक्त धारा के तहत आवश्यक प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

जमा

नैबफिड की स्थापना नैबफिड अधिनियम, 2021 के तहत की गई है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और 74 के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(v) और (vi) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसलिए, इस रिपोर्ट में उक्त धारा के तहत आवश्यक प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

नैबफिड की स्थापना नैबफिड अधिनियम, 2021 के तहत की गई है और तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

प्रदर्शन मूल्यांकन

नैबफिड के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रदर्शन मूल्यांकन ढांचा है। निदेशकों, बोर्ड, बोर्ड के अध्यक्ष और बोर्ड समितियों के लिए मूल्यांकन निदेशकों के लिए, बोर्ड के लिए, बोर्ड के अध्यक्ष और बोर्ड समितियों के लिए क्रमशः अलग-अलग प्रश्नावलियों के संचलन के माध्यम से किया जाता है, । प्रदर्शन का मूल्यांकन बोर्ड/समितियों की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और दायित्वों, बोर्ड/समितियों की चर्चाओं की प्रासंगिकता, रणनीतिक मुद्दों पर ध्यान, प्रमुख क्षेत्रों में प्रदर्शन, कार्यकारी प्रबंधन को प्रतिक्रिया प्रदान करने और प्रबंधन और बोर्ड / समितियों के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का आकलन करने से संबंधित चुनिंदा मापदंडों पर किया जाता है जो बोर्ड के लिए प्रभावी रूप से और उचित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक है। वित्त वर्ष 2024 के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर आयोजित की गई थी, जिसकी समीक्षा नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक, अलग स्वतंत्र निदेशक बैठक और बोर्ड की बैठक में की गई थी।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

नैबफिड के पास सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित गवर्निंग फ्रेमवर्क है। संस्था सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी को उत्तरदायी और पारदर्शी तरीके से प्रकट कर रही है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान, कुल 85 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 77 आरटीआई आवेदनों को उचित जानकारी प्रदान की गई।

शेष 8 आरटीआई आवेदनों का उत्तर आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर दिया गया। इसके अलावा, 4 आरटीआई अपीलें दायर की गईं, जिनमें से 2 अपीलों का निपटारा 31 मार्च, 2024 तक कर दिया गया और शेष अपीलों का निपटारा अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कर दिया गया।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

नैबफिड के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित राजभाषा नीति है। नैबफिड ने राजभाषा समिति का भी गठन किया है और आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 के दौरान, चार बैठकें आयोजित की गईं।

सतर्कता बढ़ाना

नैबफिड सभी परिचालन डोमेन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक सतर्क ढांचा स्थापित करने, ईमानदारी और अखंडता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यू. दिनेश शानबाग को भारत सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से नैबफिड के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीऊ) के रूप में नियुक्त किया है।

सीवीओ केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा निर्देशित, नैबफिड के भीतर सतर्कता के प्रशासन की देखरेख करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता प्रशासन के निवारक, जासूसी और दंडात्मक पहलुओं को शामिल करते हुए विभाग की गतिविधियों को निर्देशित करता है। इन प्रयासों का उद्देश्य संगठन के भीतर प्रबंधकीय दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। नैबफिड सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह, वॉकथॉन और विषय विशेषज्ञों द्वारा भाषण/मार्गदर्शन सत्र जैसी गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।

कर्मचारियों का विवरण

31 मार्च, 2024 तक, नैबफिड में 50 कर्मचारी थे। क्षमता निर्माण के एक हिस्से के रूप में, नैबफिड ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) के माध्यम से सीएक्सओ प्रशिक्षण, आरक्षण पर प्रशिक्षण, एफआईएमएमडीए प्रशिक्षण आदि जैसे विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए

अधिकारियों को नामित किया था। परियोजना और बुनियादी ढाँचा वित्त, जोखिम आदि के क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए अनिवार्य ई-लर्निंग मॉड्यूल/प्रमाणन भी शुरू किए गए हैं।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशक मंडल अपनी सर्वोत्तम जानकारी और क्षमता के अनुसार यह कहता है कि:

1. वार्षिक लेखों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था, साथ ही भौतिक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया था;
2. उन्होंने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में नैबफिड के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए नैबफिड के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।
3. उन्होंने नैबफिड की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी को रोकने और उसका पता लगाने के लिए, नैबफिड अधिनियम, 2021 के साथ पढ़े गए लागू नियमों और विनियमों और अन्य लागू नियामक प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव और अन्य अनियमितताएँ के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।
4. उन्होंने वार्षिक खातों को चालू वित्त वर्ष के आधार पर तैयार किया है।
5. उन्होंने नैबफिड द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और कहा है कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।
6. उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और ये प्रणालियाँ पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

पावती

नैबफिड भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से प्राप्त बहुमूल्य सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता है। नैबफिड विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, अन्य संस्थानों द्वारा दिए गए समर्थन और सहयोग और नैबफिड से जुड़े प्रत्येक सदस्य के लिए भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता है।

बोर्ड की ओर से**श्री. के वी कामथ
अध्यक्ष****(डीआईएन: 00043501)****दिनांक: 21 मई, 2024****स्थान: मुंबई**

निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में घोषणा

मैं पुष्टि करता हूँ कि वरिष्ठ प्रबंधन के सभी निदेशकों और सदस्यों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

**श्री. राजकिरण राय जी.
प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 07427647)****दिनांक: 21 मई, 2024****स्थान: मुंबई**

अनुलग्नक - 1

कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट प्रशासन का दर्शन

नैबफिड कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के उच्चतम स्तर को परिभाषित करने, उनका पालन करने और उनका अभ्यास करने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार प्रयास कर रहा है। कॉर्पोरेट प्रशासन पर नैबफिड का दर्शन व्यावसायिक रणनीतियों की देखरेख करता है और सभी हितधारकों के लिए राजकोषीय जवाबदेही, नैतिक कॉर्पोरेट व्यवहार और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। नैबफिड ने अपने गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर को स्टॉक एक्सचेंजों यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) में सूचीबद्ध किया है और इसे 20 जून, 2023 से उच्च मूल्य वाले ऋण सूचीबद्ध इकाई के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (नैबफिड अधिनियम, 2021) इसके नियमों और विनियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 सहित अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

2. निदेशक मंडल और बोर्ड बैठकों का विवरण

वित्त वर्ष 2024 के दौरान, नैबफिड के निदेशक मंडल की आठ बैठकें क्रमशः 20 अप्रैल, 2023, 01 जून, 2023, 19 जुलाई, 2023, 13 सितंबर, 2023, 03 अक्टूबर, 2023, 17 अक्टूबर, 2023, 25 जनवरी, 2024 और 27 मार्च, 2024 को आयोजित की गईं। बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति का विवरण, पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति और 31 मार्च, 2024 को उनके द्वारा धारण किए गए अन्य निदेशक पदों और बोर्ड समितियों की सदस्यता का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम और डीआईएन	निदेशक	वर्ग	बोर्ड बैठक		17 जुलाई, 2023 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में भाग लिया था	अन्य निदेशक पदों की संख्या ³	अन्य सूचीबद्ध इकाई का नाम जहां कोई व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी		अन्य समितियों की संख्या सदस्यताएँ (अध्यक्षताएँ) ⁴
			आयोजित	में भाग लिया			कंपनी का नाम	श्रेणी निदेशक	
श्री. के. वी. कामथ (डीआईएन: 00043501)	29 अक्टूबर 2021	अध्यक्ष	8	8	हाँ	2	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	--
							जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष	
सुश्री. अरुणा सुंदरराजन (डीआईएन: 03523267)	10 अप्रैल, 2022	स्वतंत्र निदेशक	8	8	हाँ	5	एल एंड टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	4(1)
							इन्फो एज (इंडिया) लिमिटेड		
							डेल्हीवरी लिमिटेड		
श्री. बी. श्रीराम (डीआईएन: 02993708)	05 जून, 2022	स्वतंत्र निदेशक	8	8	नहीं	6	टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	6(1)
							निर्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड		
							आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड		
							टीवीएस सप्लाय चैन सॉल्यूशंस लिमिटेड		

निदेशक का नाम और डीआईएन	निदेशक	वर्ग	बोर्ड बैठक		17 जुलाई, 2023 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में भाग लिया था	अन्य निदेशक पदों की संख्या ³	अन्य सूचीबद्ध इकाई का नाम जहां कोई व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी		अन्य समितियों की संख्या सदस्यताएँ (अध्यक्षताएँ) ⁴
			आयोजित	में भाग लिया			कंपनी का नाम	श्रेणी निदेशक	
श्री. टी.एन. मनोहरन (डीआईएन: 01186248)	10 अप्रैल, 2022	स्वतंत्र निदेशक	8	8	हाँ	4	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक और अंशकालिक अध्यक्ष	2(2)
							महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	
							टेक महिंद्रा लिमिटेड		
श्री. एल.वी. प्रभाकर (डीआईएन: 08110715)	18 अक्टूबर, 2023	स्वतंत्र निदेशक	2	2	लागू नहीं	2	कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	--
							इंडसइंड बैंक लिमिटेड		
श्री. एन. एस. कन्नन (डीआईएन: 00066009)	18 अक्टूबर, 2023	स्वतंत्र निदेशक	2	2	लागू नहीं	2	विप्रो लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	2(1)
श्री. सुरेश पटेल (डीआईएन: 07202263)	18 अक्टूबर, 2023	स्वतंत्र निदेशक	2	2	लागू नहीं	1	--	--	1(1)

निदेशक का नाम और डीआईएन	निदेशक	वर्ग	बोर्ड बैठक		17 जुलाई, 2023 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में भाग लिया था	अन्य निदेशक पदों की संख्या ³	अन्य सूचीबद्ध इकाई का नाम जहां कोई व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी		अन्य समितियों की संख्या सदस्यताएँ (अध्यक्षताएँ) ⁴
			आयोजित	में भाग लिया			कंपनी का नाम	श्रेणी निदेशक	
डॉ. भूषण कुमार सिन्हा (डीआईएन: 08135512) (नामित दिनांक 25 मई, 2023 से)	25 मई, 2023	सरकार द्वारा नामित निदेशक	7	5	नहीं	1	बैंक ऑफ इंडिया	नामित निदेशक	3(0)
सुश्री. सुमिता डावरा (डीआईएन: 01005516) (26 अप्रैल 2024 तक)	08 नवंबर 2021	सरकार द्वारा नामित निदेशक	8	4	नहीं	0	--	--	--
श्री. पंकज जैन (डीआईएन: 00675922) (25 मई 2023 तक)	08 नवंबर 2021	सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री. राजकिरण राय जी. (डीआईएन: 07427647)	08 अगस्त, 2022	प्रबंध निदेशक	8	8	हाँ	0	--	--	--
श्री. बी.एस. वेंकटेश (डीआईएन: 08489577)	19 सितंबर, 2022	उप प्रबंध निदेशक – मुख्य जोखिम अधिकारी	8	8	हाँ	0	--	--	--

निदेशक का नाम और डीआईएन	निदेशक	वर्ग	बोर्ड बैठक		17 जुलाई, 2023 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में भाग लिया था	अन्य निदेशक पदों की संख्या ³	अन्य सूचीबद्ध इकाई का नाम जहां कोई व्यक्ति निदेशक है और निदेशक पद की श्रेणी		अन्य समितियों की संख्या सदस्यताएँ (अध्यक्षताएँ) ⁴
			आयोजित	में भाग लिया			कंपनी का नाम	श्रेणी निदेशक	
सुश्री. मोनिका कालिया (डीआईएन: 08579733)	16 नवंबर, 2022	उप प्रबंध निदेशक – मुख्य वित्तीय अधिकारी	8	8	हाँ	0	--	--	--
श्री. सैमुअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन: 02262530)	06 अप्रैल, 2023	उप प्रबंध निदेशक – ऋण एवं परियोजना वित्त	8	7	हाँ	0	--	--	--

टिप्पणियाँ:

1. कोई भी निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं है।
2. किसी भी निदेशक के पास नैबफिड की प्रतिभूतियाँ या परिवर्तनीय लिखत नहीं हैं।
3. इसमें गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां और इक्विटी सूचीबद्ध संस्थाएं शामिल हैं, लेकिन धारा 8 कंपनियां, विदेशी कंपनियां और ऋण सूचीबद्ध संस्थाएं शामिल नहीं हैं। निदेशक पदों की संख्या समय-समय पर सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत संशोधित निर्धारित सीमाओं के भीतर है।
4. सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति में सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया गया है और उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध संस्थाओं को बाहर रखा गया है। सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की समिति सदस्यता (अध्यक्षता सहित) की संख्या नैबफिड के सभी निदेशकों के लिए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित सीमाओं के भीतर थी।
5. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने 29 अप्रैल, 2024 को ई-मेल के माध्यम से प्राप्त अपनी अधिसूचना एफ संख्या 15/10/2021-आईएफ-1 दिनांक 26 अप्रैल, 2024 के माध्यम से सूचित किया है कि नैबफिड अधिनियम, 2021 की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (डी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने श्री. राजीव सिंह ठाकुर (डीआईएन: 02631653) अतिरिक्त सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग को सुश्री. सुमिता डावरा (डीआईएन: 01005516) सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्थान पर नैबफिड के बोर्ड में निदेशक के रूप में 26 अप्रैल, 2024 से और अगले आदेश तक नामित किया है।

3. मुख्य कौशल / विशेषज्ञता / योग्यताएं

निदेशकों की प्रोफाइल योग्यता सहित नैबफिड की वेबसाइट nabfid.org/board पर उपलब्ध है। नैबफिड के मौजूदा निदेशकों के पास मौजूद मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता का विवरण इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	विशेषज्ञता का क्षेत्र
श्री. के. वी. कामथ	बैंकिंग और वित्तीय विशेषज्ञता, प्रबंधन और नेतृत्व, शासन और नियामक निरीक्षण, जोखिम प्रबंधन, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रणनीति और योजना, उपभोक्ता अंतर्दृष्टि और बाजार एक्सपोजर।
सुश्री. अरुणा सुंदरराजन	व्यावसायिक पर्यावरण ज्ञान, रणनीति/व्यावसायिक नेतृत्व, लोक प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी, शासन, जोखिम और वित्त।
श्री. बी. श्रीराम	बैंकिंग, वित्त, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, ऋण और जोखिम, राजकोष, दिवाला और दिवालियापन।
श्री. टी.एन. मनोहरन	अकाउंटेंसी, अर्थशास्त्र, बैंकिंग, कानून, जोखिम, लघु उद्योग, वित्त, कराधान, मानव संसाधन, व्यवसाय प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासन और कॉर्पोरेट प्रशासन।
श्री. एल.वी. प्रभाकर	बैंकिंग, वित्त और लेखा, जोखिम प्रबंधन, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण, धन उगाहना और ऋण वित्तपोषण
श्री. एन एस कन्नन	वित्त और लेखा, बैंकिंग, बीमा, रणनीति और कॉर्पोरेट योजना, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रतिभूति और अर्थशास्त्र, जोखिम प्रबंधन
श्री. सुरेश पटेल	बैंकिंग, शासन, कानून, भुगतान और निपटान प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त और लेखांकन
डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	शासन एवं नेतृत्व, पूंजी बाजार, विनिवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन, बैंकिंग, वित्तीय समावेशन (एफआई), कृषि/ग्रामीण क्षेत्र को ऋण, बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देना तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का कामकाज
श्री. राजीव सिंह ठाकुर	राजमार्ग वित्तपोषण, रक्षा खरीद और ग्रामीण अर्थव्यवस्था।
श्री. राजकिरण राय जी.	बैंकिंग और वित्त, कृषि वित्त, औद्योगिक वित्त और मानव संसाधन।
श्री. बी.एस. वेंकटेश	जोखिम प्रबंधन, बैंकिंग और वित्त।
सुश्री. मोनिका कालिया	लेखा एवं वित्त, कराधान, आंतरिक लेखा परीक्षा, जोखिम प्रबंधन, ट्रेजरी और विदेशी मुद्रा, निवेशक संबंध, अनुपालन और कंपनी सचिवालय।

श्री. सैमुअल जोसेफ जेबराज	अकाउंटेंसी, बैंकिंग, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, बिक्री और विपणन, प्रशासन और कॉर्पोरेट प्रशासन।
---------------------------	---

4. निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन

नैबफिड के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रदर्शन मूल्यांकन ढांचा मौजूद है। विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में उल्लिखित हैं।

5. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशकों को नैबफिड में उनकी भूमिका, अधिकार और जिम्मेदारियों के साथ-साथ उद्योग की प्रकृति और नैबफिड के व्यवसाय मॉडल से निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति के समय प्रेरण कार्यक्रम और उद्योग अवलोकन, प्रमुख नियामक विकास, रणनीति और प्रदर्शन पर प्रस्तुतियों के माध्यम से जो पूरे वर्ष आयोजित बोर्ड/समिति की बैठकों के दौरान निदेशकों को दी जाती हैं के माध्यम से परिचित कराया जाता है। नैबफिड नए निदेशक को उद्योग की गतिशीलता से परिचित कराता है ताकि उन्हें सार्थक विचार-विमर्श करने और सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सके। परिचय का विवरण कार्यक्रम की सभी सूचनाएं नैबफिड की वेबसाइट <https://nabfid.org/uploads/files/careers/announcements/Familiarisation-programmes-to-Independent-Directors.pdf> पर उपलब्ध करा दी गई हैं।

6. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

नैबफिड के पास नैबफिड अधिनियम, 2021 के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुआवजा नीति है, जिसे इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा, गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड नैबफिड की वेबसाइट <https://nabfid.org/uploads/files/careers/announcements/Criteria-of-making-payments-to-Non-executive-Directors.pdf> पर उपलब्ध हैं।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रत्येक गैर-कार्यकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामित निदेशक के अलावा) को भुगतान की गई कुल बैठक फीस और पारिश्रमिक की जानकारी निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	नाम	बैठने की फीस (राशि रु. में)	पारिश्रमिक (राशि रु. में)
1.	श्री. के. वी. कामथ	15,00,000	Nil
2.	सुश्री. अरुणा सुंदरराजन	38,00,000	20,00,000
3.	श्री. बी. श्रीराम	36,00,000	20,00,000
4.	श्री. टी.एन. मनोहरन	27,00,000	20,00,000

5.	श्री. एल.वी. प्रभाकर	14,00,000	9,07,609
6.	श्री. एन एस कन्नन	14,00,000	9,07,609
7.	श्री. सुरेश पटेल	15,00,000	9,07,609
कुल		1,59,00,000	87,22,827

वित्त वर्ष 2024 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित के अनुसार, कुल 11,43,90,000 रुपये का पारिश्रमिक (लाभ सहित) का भुगतान किया गया।

7. निदेशक मंडल की समितियाँ:

I. लेखा परीक्षा समिति:

नैबफिड ने नैबफिड अधिनियम, 2021, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम 2015 के साथ, जहां तक लागू हो के अनुरूप लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है।

लेखा परीक्षा समिति राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण विनियम, 2022 और सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिंगेशन एंड डिस्क्लोजर रिकायरमेंट्स), रेगुलेशन 2015, जहाँ तक लागू हो के अनुसार कार्य करती है और कर्तव्यों का निर्वहन करती है। लेखा परीक्षा समिति वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करती है, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य, बाहरी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, आरबीआई निरीक्षण रिपोर्ट और मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग अधिकारी ("एमएलआरओ") और मुख्य अनुपालन अधिकारी की रिपोर्ट की पर्याप्तता की समीक्षा करती है।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान समिति की चार बैठकें 20 अप्रैल, 2023, 19 जुलाई, 2023, 17 अक्टूबर, 2023 और 25 जनवरी, 2024 को आयोजित की गईं। समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य का नाम	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री. टी.एन. मनोहरन, अध्यक्ष	4/4
सुश्री. अरुणा सुंदरराजन	4/4
श्री. एल.वी. प्रभाकर (18 अक्टूबर 2023 से प्रभावी) #	1/1
श्री. एन.एस. कन्नन (18 अक्टूबर 2023 से प्रभावी) #	1/1
सुश्री. सुमिता डावरा (26 अप्रैल, 2024 तक)*	3/4

#बोर्ड ने 17 अक्टूबर, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में समिति का पुनर्गठन किया, जिसके अनुसार श्री. एल.वी. प्रभाकर और श्री. एन.एस. कन्नन को 18 अक्टूबर, 2023 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

* नैबफिड के बोर्ड से हटने के बाद, सुश्री. सुमिता डावरा 26 अप्रैल, 2024 से समिति की सदस्य नहीं रहेंगी।

II. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

नैबफिड ने नैबफिड अधिनियम, 2021, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम 2015, जहां तक लागू हो के अनुरूप नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण विनियम, 2022 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम, 2015 के अनुरूप, जहां तक लागू हो, कार्य करती है और कर्तव्यों का निर्वहन करती है।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान समिति की नौ बैठकें 19 अप्रैल, 2023, 01 जून, 2023, 19 जुलाई, 2023, 12 सितंबर, 2023, 03 अक्टूबर, 2023, 16 अक्टूबर, 2023, 01 दिसंबर, 2023, 25 जनवरी, 2024 और 22 मार्च, 2024 को आयोजित की गईं। समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य का नाम	उपस्थित बैठकों की संख्या
सुश्री. अरुणा सुंदरराजन, अध्यक्ष	9/9
श्री. बी. श्रीराम	8/9
श्री. टी.एन. मनोहरन	9/9
डॉ. भूषण कुमार सिन्हा (02 जून 2023 से प्रभावी)*	3/7
श्री. पंकज जैन (25 मई 2023 तक)*	1/1

* नैबफिड के बोर्ड से हटने पर, श्री पंकज जैन 25 मई, 2023 से समिति के सदस्य नहीं रहेंगे। बोर्ड ने 01 जून, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में समिति का पुनर्गठन किया, जिसके अनुसार डॉ. भूषण कुमार सिन्हा को 02 जून, 2023 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

III. जोखिम प्रबंधन समिति

नैबफिड ने नैबफिड अधिनियम, 2021, इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम 2015 के साथ, जहां तक लागू हो के अनुरूप जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

जोखिम प्रबंधन समिति ने राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण विनियम, 2022 और सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिंगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स), रेगुलेशन 2015, जहाँ तक लागू हो के अनुसार कार्य करती है और कर्तव्यों का निर्वहन करती है। जोखिम प्रबंधन समिति नैबफिड में जोखिम प्रबंधन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। यह विभिन्न तंत्रों के माध्यम से नैबफिड के जोखिम प्रोफ़ाइल की समीक्षा और निगरानी करता है। यह नैबफिड के जोखिम स्तरों की निगरानी के लिए पहचाने गए विभिन्न उपायों पर सीमाओं के माध्यम से समग्र जोखिम सीमा को परिभाषित करता है।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान समिति की सात बैठकें 19 अप्रैल, 2023, 30 मई, 2023, 19 जुलाई, 2023, 13 सितंबर, 2023, 16 अक्टूबर, 2023, 17 जनवरी, 2024 और 19 मार्च, 2024 को आयोजित की गईं। समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य का नाम	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री. बी. श्रीराम, अध्यक्ष	7/7
श्री. के.वी. कामथ	7/7
सुश्री. अरुणा सुंदरराजन	6/7
श्री. टी.एन. मनोहरन (18 अक्टूबर, 2023 तक)*	5/5
श्री. एल.वी. प्रभाकर (18 अक्टूबर 2023 से प्रभावी)*	2/2
श्री. राजकिरण राय जी.	7/7

#बोर्ड ने 17 अक्टूबर, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में समिति का पुनर्गठन किया, जिसके अनुसार श्री. टी. एन. मनोहरन का समिति की सदस्यता समाप्त हो गया और श्री. एल. वी. प्रभाकर को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया और यह कार्यकाल 18 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होगा।

IV. आईटी रणनीति समिति

नैबफिड ने समय-समय पर संशोधित आरबीआई परिपत्र दिनांक 29 अप्रैल, 2011 “सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ी पर कार्य करना” के अनुरूप 18 अक्टूबर, 2023 से आईटी रणनीति समिति का गठन किया है।

आईटी रणनीति समिति समय-समय पर संशोधित उपर्युक्त आरबीआई परिपत्र के अनुरूप कार्य करती है और कर्तव्यों का निर्वहन करती है। आईटी रणनीति समिति आईटी रणनीति की तैयारी में मार्गदर्शन प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि एक प्रभावी आईटी रणनीतिक योजना प्रक्रिया लागू हो। इसके अलावा यह सुनिश्चित करती है कि आईटी रणनीति अपने व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नैबफिड की समग्र रणनीति के साथ संरेखित हो।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान समिति की तीन बैठकें 01 दिसंबर, 2023, 17 जनवरी, 2024 और 19 मार्च, 2024 को आयोजित की गईं। समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य का नाम	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री. एन.एस. कन्नन, अध्यक्ष (18 अक्टूबर 2023 से प्रभावी)	3/3
श्री. बी. श्रीराम (18 अक्टूबर 2023 से प्रभावी)	2/3
श्री. सुरेश पटेल (18 अक्टूबर 2023 से प्रभावी)	3/3
श्री. बी.एस. वेंकटेश (18 अक्टूबर 2023 से प्रभावी)	3/3

V. हितधारक संबंध समिति

20 जुलाई, 2023 से प्रभावी रूप से सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम 2015 (सेबी विनियम) के प्रावधानों लागू सीमा तक, के अनुरूप, हितधारक संबंध समिति का गठन किया है। हितधारक संबंध समिति, लागू सीमा तक उक्त लिस्टिंग विनियमों के अनुरूप कार्य करती है और कर्तव्यों का निर्वहन करती है। हितधारक संबंध समिति शेयरधारक, डिबेंचर धारकों और अन्य सुरक्षा धारकों के हितों के विभिन्न पहलुओं पर गौर करती है।

सेबी विनियम की आवश्यकताओं के अनुसार नैबफिड के कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। वित्त वर्ष 2024 के दौरान, कोई भी निवेशक शिकायत प्राप्त नहीं हुई और इस प्रकार वित्त वर्ष 2024 के अंत में कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान समिति की एक बैठक 25 जनवरी, 2024 को हुई। समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य का नाम	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री. सुरेश पटेल, अध्यक्ष (18 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी)	1/1
सुश्री. अरुणा सुंदरराजन (अध्यक्ष 20 जुलाई, 2023 से 18 अक्टूबर 2023 तक)	0/0
श्री. टी.एन. मनोहरन (20 जुलाई, 2023 से प्रभावी)	1/1
सुश्री. मोनिका कालिया (20 जुलाई, 2023 से प्रभावी)	1/1
श्री. सैमुअल जोसेफ जेबराज (18 अक्टूबर 2023 से प्रभावी)	0/1
श्री. बी.एस. वेंकटेश (20 जुलाई, 2023 से 18 अक्टूबर, 2023 तक)	0/0

बोर्ड ने 17 अक्टूबर, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में समिति का पुनर्गठन किया, जिसके अनुसार सुश्री अरुणा सुंदरराजन की सदस्यता और अध्यक्षता समाप्त हो गई और श्री बीएस वेंकटेश का 18 अक्टूबर, 2023 से समिति के सदस्यता समाप्त हो गई इसके अलावा, श्री सुरेश पटेल को सदस्य और अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया और श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज को 18 अक्टूबर, 2023 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

VI. कार्यकारी समिति

नैबफिड ने नैबफिड अधिनियम, 2021 के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुरूप कार्यकारी समिति का गठन किया है।

बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले ऐसे सामान्य या विशेष निर्देशों के अधीन, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण विनियम, 2022, 7(1) के अनुसार, कार्यकारी

समिति बोर्ड की क्षमता के भीतर किसी भी मामले से निपट सकती है। कार्यकारी समिति समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करती है। कार्यकारी समिति नैबफिड में सर्वोच्च क्रेडिट अनुमोदन प्राधिकारी है जो शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार क्रेडिट एक्सपोज़र की समीक्षा और अनुमोदन करती है।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान समिति की इक्कीस बैठकें 27 अप्रैल, 2023, 09 मई, 2023, 12 मई, 2023, 30 मई, 2023, 23 जून, 2023, 10 जुलाई, 2023, 26 जुलाई, 2023, 14 अगस्त, 2023, 06 सितंबर, 2023, 16 सितंबर, 2023, 29 सितंबर, 2023, 03 अक्टूबर, 2023, 06 नवंबर, 2023, 11 दिसंबर, 2023, 17 जनवरी, 2024, 05 फरवरी, 2024, 20 फरवरी, 2024, 27 फरवरी, 2024, 07 मार्च, 2024, 14 मार्च, 2024 और 22 मार्च को आयोजित की गईं। 2024. समिति की संरचना और वर्ष के दौरान आयोजित इसकी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

सदस्य का नाम	उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री. राजकिरण राय जी, अध्यक्ष	21/21
श्री. एल.वी. प्रभाकर (18 अक्टूबर 2023 से प्रभावी)	9/9
श्री. एन.एस. कन्नन (18 अक्टूबर 2023 से प्रभावी)	8/9
श्री. सुरेश पटेल (18 अक्टूबर 2023 से प्रभावी)	9/9
सुश्री. अरुणा सुंदरराजन (18 अक्टूबर 2023 तक)	12/12
श्री. बी. श्रीराम (18 अक्टूबर 2023 तक)	11/12
सुश्री. मोनिका कालिया (18 अक्टूबर 2023 तक)	10/12

बोर्ड ने 17 अक्टूबर, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में समिति का पुनर्गठन किया, जिसके अनुसार सुश्री. अरुणा सुंदरराजन, श्री. बी. श्रीराम और सुश्री. मोनिका कालिया का 18 अक्टूबर, 2023 से समिति के सदस्यता समाप्त हो गए। इसके अलावा, श्री. एल. वी. प्रभाकर, श्री. एन. एस. कन्नन और श्री. सुरेश पटेल को 18 अक्टूबर, 2023 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

8. अन्य समितियां

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बोर्ड ने समय-समय पर विभिन्न आंतरिक समितियों का गठन किया है, जैसे ऋण एवं व्यय अनुमोदन समिति 1, ऋण एवं व्यय अनुमोदन समिति 2, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, निवेश समिति, कोषागार निवेश समिति, संसाधन जुटाने की समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति, व्यवसाय निरंतरता एवं आपदा रिकवरी प्रबंधन संचालन समिति, आईटी संचालन समिति, सूचना सुरक्षा समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मानव संसाधन समिति आदि।

9. स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना 19 अप्रैल, 2023 को नैबफिड के स्वतंत्र निदेशकों की बैठक आयोजित की गई।

10. आम सभा का विवरण

नैबफिड के गठन के बाद से आयोजित वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) का विवरण निम्नलिखित है :

एजीएम	वर्ष	बैठक आयोजित करने का दिन और तारीख	समय	कार्यक्रम का स्थान	विशेष संकल्प
दूसरी वार्षिक आम बैठक	2022-23	सोमवार, 17 जुलाई, 2023	दिन के 10 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से बैठक आयोजित की गई	शून्य
प्रथम वार्षिक आम बैठक	2021-22	शुक्रवार, 09 दिसंबर, 2022	दिन के 11 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से बैठक आयोजित की गई	शून्य

वित्त वर्ष 2024 के दौरान, नैबफिड ने शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया था।

11. सामान्य शेयरधारकों की जानकारी

• आगामी वार्षिक आम बैठक का विवरण:

वार्षिक आम बैठक	दिन और तारीख	समय
दृश्य-श्रव्य माध्यमों से तीसरी वार्षिक आम बैठक	मंगलवार, 18 जून 2024	03:30 अपराह्न

- **वित्तीय वर्ष** : 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024
- **लाभांश भुगतान तिथि**: लागू नहीं, क्योंकि निदेशक मंडल द्वारा कोई लाभांश का भुगतान या अनुशंसा नहीं की गई है।
- **प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज का नाम और पता जहां सूचीबद्ध इकाई की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं और ऐसे प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क के भुगतान के बारे में पुष्टि**: नैबफिड के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:
 1. **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड**
एक्सचेंज प्लाज़ा, सी-1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
 2. **बीएसई लिमिटेड**
फ़िरोज़ जीजीभाय टावर्स,
दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400 001
स्क्रिप कोड: 974906 और 975262

उपरोक्त स्टॉक एक्सचेंजों के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कर दिया गया है।

- **स्टॉक कोड**: नैबफिड के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, इसलिए स्टॉक कोड लागू नहीं है। 31 मार्च, 2024 तक, नैबफिड के पास स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 2 सक्रिय ISIN हैं।
- **बाजार मूल्य डेटा** - पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह के दौरान उच्च, निम्न: लागू नहीं।
- **बीएसई सेंसेक्स, क्रिसिल इंडेक्स आदि जैसे व्यापक सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन**: लागू नहीं।
- **व्यापार से निलंबित प्रतिभूतियों का विवरण**: लागू नहीं।
- **शेयर ट्रांसफर सिस्टम**: नैबफिड एक इक्विटी सूचीबद्ध इकाई नहीं है। नैबफिड के शेयर भारत के राष्ट्रपति को केवल डीमैट फॉर्म में जारी किए गए थे। नैबफिड ने लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के रूप में नियुक्त किया है। इसके अलावा, नैबफिड के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध थे और केवल डीमैट फॉर्म में जारी किए गए थे।
- **शेयरधारिता का वितरण**: नैबफिड की 100% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है।

- **शेयरों का डीमैटरियलाइजेशन और लिक्विडिटी:** नैबफिड एक इक्विटी लिस्टेड इकाई नहीं है। इसके अलावा, नैबफिड द्वारा जारी किए गए गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में हैं।
- **बकाया वैश्विक डिपोजिटरी रसीदें या अमेरिकन डिपोजिटरी रसीदें या वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव:** लागू नहीं।
- **कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां:** 31 मार्च, 2024 तक नैबफिड का कमोडिटी या विदेशी मुद्रा जोखिम से कोई लेना-देना नहीं था। नैबफिड अपनी निश्चित दर देनदारियों पर ब्याज जोखिम के संबंध में हेजिंग गतिविधि करता है। नैबफिड ने उचित नीतियां बनाई हैं जो मुद्रा जोखिम प्रबंधन, बेंचमार्किंग, हेजिंग और जोखिम की भूख, अनुमेय उपकरण, हेजिंग नीति, जोखिम प्रबंधन समिति और ट्रेजरी समूह की संरचना, रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं आदि के विभिन्न पहलुओं को शामिल करती हैं।
- **संयंत्र स्थान:** लागू नहीं।
- **पत्राचार का पता:** राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड) - द कैपिटल, ए विंग, 15वीं मंजिल - 1503, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051।
टेलीफोन – 022 41042000
ई-मेल आईडी: contact@nabfid.org
वेबसाइट: www.nabfid.org
- **नैबफिड द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग:** वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, संस्थान को ICRA और CRISIL से AAA/स्थिर (स्थिर दृष्टिकोण के साथ ट्रिपल A) की क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई है।

12. संचार के साधन

नैबफिड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखा परीक्षित खाते, निदेशकों की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट शामिल है, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सदस्यों और अन्य हकदारों को प्रसारित की जाती है। नैबफिड अपने हितधारकों के साथ वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक, समाचार पत्रों और प्रकटीकरण के द्वारा आधिकारिक वेबसाइट यानी www.nabfid.org के माध्यम से संवाद करता है। लिस्टिंग विनियमों के तहत, आवश्यक/निर्धारित वित्तीय और अन्य जानकारी और विभिन्न अनुपालन, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं और नैबफिड की वेबसाइट के अलावा उनकी संबंधित वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं। नैबफिड के तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, नवभारत टाइम्स और लोकसत्ता में प्रकाशित होते हैं और बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

13. अन्य प्रकटीकरण

- **भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर प्रकटीकरण जो बड़े पैमाने पर सूचीबद्ध इकाई के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है :** संबंधित पक्षों के साथ नैबफिड के हितों के विपरीत कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं हुआ है
- **पिछले तीन वर्षों के दौरान, पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा नैबफिड द्वारा गैर-अनुपालन, दंड, नैबफिड पर लगाए गए प्रतिबंधों का विवरण:** पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा नैबफिड पर कोई दंड, प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।
- **सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति की स्थापना का विवरण, तथा यह पुष्टि कि किसी भी कार्मिक को ऑडिट समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है:** व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार की गई है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान, किसी भी कार्मिक को ऑडिट समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया। वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
- **अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने का विवरण:** नैबफिड ने 20 जून, 2023 को स्टॉक एक्सचेंजों पर अपने पहले गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर को सूचीबद्ध किया है। नैबफिड ने उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई होने के नाते लागू सीमा तक SEBI (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। नैबफिड, लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 16 से विनियमन 27 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के साथ लागू सीमा तक अनुपालन करने का प्रयास करेगा (31 मार्च, 2025 तक 'अनुपालन या स्पष्टीकरण' के आधार पर लागू और उसके बाद अनिवार्य आधार पर)।
- **वैधानिक लेखा परीक्षकों के लिए शुल्क:** वित्त वर्ष 2024 के दौरान, प्रमाणीकरण और त्रैमासिक सीमित समीक्षा, कर लेखा परीक्षा, अन्य रिपोर्ट शुल्क सहित एवं अन्य लेखा परीक्षा से संबंधित सेवाओं सहित वैधानिक लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा शुल्क 58,01,393 रुपये था।
- **उन फर्मों/कंपनियों को ऋण की प्रकृति में 'ऋण और अग्रिम' का नाम और राशि सहित प्रकटीकरण, जिनमें निदेशकों की रुचि हो: बशर्ते कि यह आवश्यकता सूचीबद्ध बैंकों को छोड़कर सभी सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होगी:** शून्य।
- **जहां बोर्ड ने प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की किसी समिति की कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की है, जो अनिवार्य रूप से अपेक्षित है:** बोर्ड ने बोर्ड की समितियों की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं, जो अनिवार्य रूप से अपेक्षित हैं।
- **वेब-लिंक जहां "महत्वपूर्ण" सहायक कंपनियों के निर्धारण की नीति का खुलासा किया गया है:** नैबफिड की कोई सहायक कंपनी नहीं है और इसलिए यह लागू नहीं है।
- **वेब-लिंक जहां संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने की नीति का खुलासा किया गया है:** नीति नैबफिड की वेबसाइट <https://nabfid.org/policy-on-dealing-with-related-party-transactions> पर उपलब्ध है।

- विनियमन 32(7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमान्य आबंटन या योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के उपयोग का विवरण: लागू नहीं।
- प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से प्रमाण पत्र कि कंपनी के किसी भी बोर्ड सदस्य को सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है: प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी मेसर्स एल्विन जे एंड कंपनी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम 2015 के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें पुष्टि की गई है कि नैबफिड के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। प्रमाण पत्र अनुलग्नक - 4 के रूप में संलग्न है।
- निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में राशि का हस्तांतरण: शून्य।
- डीमैट सस्पेंस खाते/बेदावा सस्पेंस खाते के संबंध में प्रकटीकरण: शून्य।
- सूचीबद्ध इकाई की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों का विवरण; निगमन की तिथि और स्थान तथा ऐसी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों के नाम और नियुक्ति की तिथि सहित: नैबफिड की कोई सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए यह लागू नहीं है।
- पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से वरिष्ठ प्रबंधन में हुए बदलावों सहित उनका विवरण: 31 मार्च 2024 तक कुल 18 वरिष्ठ प्रबंधन थे। संगठनात्मक परिवर्तनों के अनुसरण में, 7 वरिष्ठ प्रबंधन समाप्त हो गए और 11 अधिकारियों की पहचान वरिष्ठ प्रबंधन के रूप में की गई।
- सूचीबद्ध संस्थाओं को बाध्य करने वाले कुछ प्रकार के समझौतों का प्रकटीकरण: लागू नहीं।

अनुलग्नक - 2

कॉर्पोरेट प्रशासन का प्रमाणपत्र

सदस्यों को,

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ,

- हमने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम 2015 ('लिस्टिंग विनियम') के विनियम 15 से 27, उप-नियम (1ए) के (अ) से (ई) तक की शर्तों, विनियम 62 के उप-नियम (1ए) के नियम और अनुसूची V में निर्धारित अनुसार, जो राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (अधिनियम), 2021 के साथ, उसके अंतर्गत नियम और विनियम के असंगत नहीं हैं, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड /संस्था) के द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन शर्तों के अनुपालन की जांच की गई है।
- कॉर्पोरेट प्रशासन की संरचनात्मक शुधार की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण सीमित था सिद्धांतों और उनके कार्यान्वयन के लिए, जिन्हें नैबफिड द्वारा संरचनात्मक शुधार की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए थे। यह न तो एक लेखा परीक्षण है और न ही नैबफिड के वित्तीय विवरणों पर एक अभिव्यक्ति है।
- हमारी राय और हमारी सूचना के अनुसार और प्रबंधन द्वारा दी गई व्याख्याओं और प्रस्तुतियों द्वारा, हम सत्यापित करते हैं कि नैबफिड ने उपरोक्त उल्लिखित लिस्टिंग विनियम में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की संरचनात्मक शुधार की शर्तों का अनुपालन किया है, जितना कि वे राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (अधिनियम), 2021 के साथ, उसके नियम और विनियम के असंगत नहीं हैं।
- हम यह भी बताते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो नैबफिड के भविष्य की वाणिज्यिकता की आश्वासन है और न ही प्रबंधन ने नैबफिड के कार्यों को कितनी प्रभावी या कुशलतापूर्वक आयोजित किया है।

स्थान : मुंबई

दिनांक : 16 अप्रैल, 2024

कार्यालय का पता :

अनुलग्नक-103, डिंपल आर्केड,

आशा नगर, कांदिवली (पूर्व),

मुंबई 400101

अलविन जे एंड कंपनी

कंपनी सचिव

[एल्विन डिसूजा, FCS.5559]

[पार्टनर]

[अभ्यास प्रमाण पत्र संख्या 5137]

[UDIN: F005559F000145094]

अनुलग्नक - 3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले फाइनेंशियल वर्ष के लिए)

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 24A के अनुसार]

सदस्यगण,

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड /संस्था)

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड /संस्था) द्वारा अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है।

सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से की गई थी कि हमें कॉर्पोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया गया।

नैबफिड के वैधानिक रजिस्ट्रों, पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, दायर किए गए फॉर्म और रिटर्न और नैबफिड द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड और सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान नैबफिड, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, नैबफिड ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया और यह भी कि नैबफिड ने उचित बोर्ड-प्रक्रियाओं का पालन किया है और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के तरीके और अधीन सीमा तक अनुपालन तंत्र की आवश्यकता है:

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नैबफिड द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों की जांच की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम - नैबफिड पर लागू सीमा तक;
- (ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम - नैबफिड पर लागू सीमा तक;
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उप-विधियां - नैबफिड पर लागू सीमा तक;

- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक उधारों के संबंध में अनुपालन के लिए बनाए गए नियम और विनियम - नैबफिड पर लागू सीमा तक;
- (v) समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश - नैबफिड पर इसकी सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में लागू सीमा तक:
- a) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 - समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं;
- b) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 - नैबफिड पर लागू सीमा तक;
- c) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 - समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं;
- d) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021- समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं;
- e) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के बारे में - समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं;
- f) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)] विनियम, 2021 - समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं;
- g) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 - समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं;
- h) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993 - नैबफिड पर लागू सीमा तक
- i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 - नैबफिड पर लागू सीमा तक;
- j) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और प्रतिभागी) विनियम, 2018 -- नैबफिड पर लागू सीमा तक;

(vi) नैबफिड पर लागू अन्य विशिष्ट व्यवसाय/उद्योग संबंधी कानून - राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (नैबफिड अधिनियम 2021), राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण नियम, 2022, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण विनियम, 2022 और अन्य लागू सामान्य कानून, नियम, विनियम और दिशानिर्देश।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

- (a) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निदेशक मंडल की बैठक (एसएस-1) के संबंध में जारी सचिवीय मानक; और
- (b) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 20 जून, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए नैबफिड की गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों को 20 जून, 2023 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और BSE लिमिटेड में सूचीबद्ध किया गया था।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, नैबफिड ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि –

- (a) नैबफिड के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यपालक निदेशक, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे नैबफिड अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे;
- (b) बोर्ड और बोर्ड समितियों की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को अल्प सूचना सहित पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची पर एजेंडा और विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले भेजी जाती हैं और बैठक से पहले कार्यसूची मद्दों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है;
- (c) बोर्ड और इसकी समिति की बैठकों में लिए गए सभी निर्णय निदेशक मंडल अथवा बोर्ड की समितियों, जैसा भी मामला हो, की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किए गए अनुसार लिए गए थे और असहमति व्यक्त करने वाले सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के एक भाग के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि नैबफिड में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसके आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं। जैसाकि सूचित किया गया है, नैबफिड ने विभिन्न सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों से प्राप्त संपर्षणों

पर समुचित प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमें सुधारात्मक उपायों के लिए कार्रवाई शुरू करना, जहां कहीं आवश्यक पाया गया, शामिल है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि ऑडिट अवधि के दौरान, निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं / कार्रवाइयां हुई हैं जिनका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों के अनुसरण में नैबफिड के मामलों पर एक बड़ा असर है:

1. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एकल या एकाधिक किशतों में कुल 30,000 करोड़ रुपये तक के संसाधन जुटाने के लिए दीर्घकालिक बांड जारी करने के लिए 20 अप्रैल, 2023 को आयोजित नैबफिड के निदेशक मंडल की मंजूरी प्राप्त की गई थी।
2. नैबफिड ने 20 जून, 2023 को BSE लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर अपनी डेट सिक््योरिटीज़ को लिस्ट किया है।
3. गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों (बांड) पर प्रकृति के असुरक्षित, गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, प्रतिदेय बांड जारी करने के माध्यम से धन जुटाने के लिए 30 नवंबर, 2023 को आयोजित नैबफिड के संसाधन जुटाने के लिए समिति की मंजूरी प्राप्त की गई थी, जो बांड की कुल कुल राशि के निजी प्लेसमेंट के आधार पर एक या अधिक किस्तों में जारी किए जा सकते हैं, जो 20,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।
4. नैबफिड ने 18 दिसंबर, 2023 को सामान्य सूचना दस्तावेज़ दिनांक 18 दिसंबर, 2023 के तहत जारी करने के संबंध में 10 लाख तक के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से सूचीबद्ध, असुरक्षित, रेटेड, प्रतिदेय, कर योग्य, गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से प्रत्येक नकद के लिए 1,00,000 रुपये के अंकित मूल्य के डिबेंचर की प्रकृति में दायर किया था, ₹5,000 करोड़ के बेस इश्यू साइज़ के साथ ₹10,000 करोड़ तक का एग्रीगेट और ₹ 5,000 करोड़ तक ओवरसब्सक्रिप्शन बनाए रखने के लिए ग्रीनशू विकल्प रखा था। नैबफिड के संसाधन जुटाने के लिए समिति ने 22 दिसंबर, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में 9,516 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के बॉन्ड के आवंटन को मंजूरी दी थी।

स्थान : मुंबई
दिनांक : 16 अप्रैल, 2024

अलविन जे एंड कंपनी
कंपनी सचिव

कार्यालय का पता :
अनुलग्नक-103, डिंपल आर्केड,
आशा नगर, कांदिवली (पूर्व),
मुंबई 400101

[एल्विन डिसूजा, FCS.5559]
[पार्टनर]
[अभ्यास प्रमाण पत्र संख्या 5137]
[UDIN: F005559F000144907]

ध्यान दें: यह रिपोर्ट हमारे समान तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो कि संलग्न अनुक्रम A के रूप में है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुक्रम A

सदस्यों को,

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड)

हमारी सीक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट भी इस पत्र के साथ पढ़ी जानी चाहिए।

1. सभी कानूनों, नियमों, विनियमन और मानकों के पालन का सुनिश्चित करना राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड) के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच सीमित हुई थी सीक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट जारी करने के उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं के सत्यापन पर।
2. लागू कानूनों के सचिवालयीय और अन्य रिकॉर्डों का रखरखाव राष्ट्रीय बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास (नैबफिड) के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी राष्ट्रीय बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास (नैबफिड) द्वारा रखे और हमें प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक रिकॉर्डों की जांच के आधार पर सीक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट जारी करना है, जहां आवश्यकता हो।
3. हमने सीक्रेटरियल और अन्य कानूनी रिकॉर्डों, कानूनी पालन तंत्र और कॉर्पोरेट आचरण की सहीता के बारे में विश्वसनीय आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। हम मानते हैं कि हमारे अनुसरण की प्रक्रिया और अभ्यास हमारे मत को जारी करने के उद्देश्य के लिए एक योग्य आधार प्रदान करते हैं।
4. हमने नैबफिड के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा-बही की सहीता और उपयुक्तता की सत्यापन नहीं किया है।
5. जहां आवश्यक हुआ, हमने ऑडिट अवधि के दौरान लागू कानूनों, नियमों और विनियमनों की सूची, कानूनों का पालन, नियम और विनियमन, और प्रमुख घटनाओं पर प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
6. सीक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट नैबफिड के भविष्य की जीवनक्षमता का न तो एक आश्वासन है और न ही यह आश्वासन है कि प्रबंधन ने नैबफिड के कार्यों को कितनी कुशलतापूर्वक या प्रभावी तरीके से चलाया है।

स्थान : मुंबई
दिनांक : 16 अप्रैल, 2024

अलविन जे एंड कंपनी
कंपनी सचिव

कार्यालय का पता :
अनुलग्नक-103, डिंपल आर्केड,
आशा नगर, कांदिवली (पूर्व),
मुंबई 400101

[एल्विन डिसूजा, FCS.5559]
[पार्टनर]
[अभ्यास प्रमाण पत्र संख्या 5137]
[UDIN: F005559F000144907]

अनुलग्नक - 4

निदेशकों के गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम 2015 के अनुसूची V के उप-विधि (10)(i) के उप-विधि (15)(2) के अनुसार]

सदस्यों को,
राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक,

कैपिटल, ए विंग, 15 वीं मंजिल - 1503,
जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051

हमने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम 2015 की अनुसूची V के उप-विधि (10)(i) के साथ धारा सी के अनुबंध 15(2) के अनुसार राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड/संस्था) पर लागू सीमा तक और निर्देशकों द्वारा प्राप्त संबंधित रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटियां की जांच की और उन्हें निम्नलिखित प्रदान की गई निर्देशों के अनुसार यह प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से निर्मित किया है।

हमारी राय के अनुसार और हमारी सूचना के अनुसार और हमें सामने रखी गई सत्यापनों (निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति www.mca.gov.in पोर्टल पर) द्वारा प्रदान की गई व्याख्याओं के अनुसार, हम यहां प्रमाणित करते हैं कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड) के बोर्ड पर वित्तीय वर्ष 2024 में उपस्थित निर्देशकों में से कोई भी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय या ऐसा कोई अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा सुदृढ़ या अयोग्य घोषित नहीं है।

क्र. सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री कुंडापुर वामन कामथ	00043501	अध्यक्ष	29/10/2021
2.	श्रीमती अरुणा सुंदरराजन	03523267	स्वतंत्र निदेशक	10/04/2022
3.	श्री बी. श्रीराम	02993708	स्वतंत्र निदेशक	05/06/2022
4.	श्री टी. एन. मनोहरन	01186248	स्वतंत्र निदेशक	10/04/2022
5.	श्री एल. वी. प्रभाकर	08110715	स्वतंत्र निदेशक	18/10/2023
6.	श्री एन. एस. कन्नन	00066009	स्वतंत्र निदेशक	18/10/2023
7.	श्री सुरेश पटेल	07202263	स्वतंत्र निदेशक	18/10/2023
8.	डॉ भूषण कुमार सिन्हाz	08135512	सरकारी प्रत्यायोजित निदेशक	25/05/2023
9.	श्रीमती सुमिता दावरा	01005516	सरकारी प्रत्यायोजित निदेशक	08/11/2021
10.	श्री राजकिरण राय जी.	07427647	प्रबंध निदेशक	08/08/2022
11.	श्री बी. एस. वेंकटेश	08489577	उप प्रबंध निदेशक – मुख्य जोखिम अधिकारी	19/09/2022

क्र. सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
12.	श्रीमती मोनिका कालिया	08579733	उप प्रबंध निदेशक – मुख्य वित्तीय अधिकारी	16/11/2022
13.	श्री. सैमुअल जोसेफ जेबराज	02262530	उप प्रबंध निदेशक – ऋण और परियोजना वित्त	06/04/2023

प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / सचिता की पात्रता को सुनिश्चित करना नैबफिड के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन पर हमारी सत्यापन के आधार पर एक राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो NaBFID के भविष्य की विवाद की गारंटी है और न ही NaBFID के प्रबंधन ने NaBFID के कार्यों को कितनी प्रभावी या कुशलतापूर्वक आयोजित किया है।

स्थान : मुंबई
दिनांक : 16 अप्रैल, 2024

अलविन जे एंड कंपनी
कंपनी सचिव

कार्यालय का पता :
अनुलग्नक-103, डिंपल आर्केड,
आशा नगर, कांदिवली (पूर्व),
मुंबई 400101

[एल्विन डिसूजा, FCS.5559]
[पार्टनर]
[अभ्यास प्रमाण पत्र संख्या 5137]
[UDIN: F005559F000145039]

अनुलग्नक - 5

- स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
- मार्च 31, 2024 तक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

- हमने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID) ('इंस्टीट्यूशन') के संलग्न वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और कैश फ्लो विवरण शामिल है। समाप्त अवधि के लिए और वित्तीय विवरणों पर नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जनरल रूल्स, 2022 के नियम 9 के अनुसार आवश्यक जानकारी देते हैं और एक सत्य और जानकारी देते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2024 तक संस्थान के मामलों की स्थिति, इसके लाभ और निष्पक्ष दृष्टिकोण इसका नकदी प्रवाह उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए.

राय का आधार

- हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी ऑडिटिंग मानकों ('एसए') के अनुसार वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियाँ' अनुभाग में आगे वर्णित हैं। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

द्वारा जारी "आचार संहिता" के अनुसार संस्थान से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

3. प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संदर्भ में संबोधित किया गया था। जैसा समग्र रूप से, और उस पर अपनी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख ऑडिट मामलों के रूप में निर्धारित किया है

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
i.	<p>प्रमुख लेखापरीक्षा मामला गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान और अग्रिमों का प्रावधान:</p> <p>अग्रिम बैंक की संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इन अग्रिमों की गुणवत्ता बैंक के सकल अग्रिमों के गैर-निष्पादित अग्रिमों ("एनपीए") के अनुपात के संदर्भ में मापी जाती है। बैंक की कुल संपत्ति का 64.11% अग्रिम है और बैंक</p>	<p>हमने अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित ऑडिट प्रक्रियाएं निष्पादित कीं:</p> <p>-एनपीए की पहचान और प्रावधान के लिए बैंक की नीतियों पर विचार करना और आईआरएसी मानदंडों के अनुपालन का आकलन करना।</p>

<p>का सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए अनुपात शून्य है।</p> <p>आय पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण ("आईआरएसी") पर भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") के दिशानिर्देश एनपीए की पहचान और वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड और ऐसी परिसंपत्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रावधान निर्धारित करते हैं। बैंक को मात्रात्मक और साथ ही गुणात्मक कारकों को लागू करके एनपीए के खिलाफ आवश्यक पहचान और प्रावधान निर्धारित करने के लिए अपने निर्णय को लागू करना भी आवश्यक है। एनपीए की पहचान तनाव और तरलता संबंधी चिंताओं जैसे कारकों से प्रभावित होती है कुछ क्षेत्र.</p> <p>चूंकि अभी तक किसी एनपीए की पहचान नहीं की गई है, इसलिए एनपीए के लिए किसी प्रावधान का आकलन एनपीएएस की उम्र बढ़ने और वर्गीकरण, वसूली अनुमान,</p>	<p>- आईआरएसी पर मौजूदा दिशानिर्देशों के आधार पर खराब खातों की पहचान के आसपास प्रमुख नियंत्रणों (एप्लिकेशन नियंत्रणों सहित) के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता को समझना, मूल्यांकन और परीक्षण करना।</p> <p>- बैंक और आरबीआई निरीक्षण के निगरानी तंत्र के अनुसार किए गए विभिन्न ऑडिट की टिप्पणियों के अनुपालन और वास्तविक प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करने के लिए अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता की जांच की गई।</p> <p>- मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाता विवरण और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना।</p> <p>-तनावग्रस्त ऋण खातों की पहचान करने के लिए बैंक द्वारा तैयार की गई</p>
---	---

<p>सुरक्षा के मूल्य और अन्य गुणात्मक कारकों के आधार पर करने की आवश्यकता नहीं है और यह आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम प्रावधान मानदंडों के अधीन है।</p> <p>इसके अतिरिक्त, बैंक ऐसे एक्सपोजर पर प्रावधान करता है जिन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में अग्रिम और पहचाने गए अग्रिम या समूह अग्रिम शामिल हैं जो संभावित रूप से एनपीए में शामिल हो सकते हैं।</p> <p>एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में एनपीए के लिए प्रावधान करना।</p>	<p>प्रारंभिक चेतावनी रिपोर्टों की जांच करना।</p> <p>- जहां ऋण जोखिम का आभास हो, वहां बैंक के प्रबंधन के साथ विशेष चर्चा करना और जोखिम को कम करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा करना।</p> <p>-हमने नियामक पैकेज और रिजॉल्यूशन फ्रेमवर्क के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त खुलासे सहित एनपीए से संबंधित प्रासंगिक लेखांकन मानकों और आरबीआई आवश्यकताओं के विरुद्ध प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता का आकलन किया।</p> <p>अग्रिमों के प्रावधान के संबंध में, हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं निष्पादित कीं:</p> <p>-अग्रिम प्रावधान के लिए बैंक की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की।</p> <p>-आरबीआई नियमों और प्रावधान के लिए आंतरिक रूप से निर्धारित नीतियों के अनुपालन के लिए प्रबंधन द्वारा की गई गणना का नमूना आधार पर परीक्षण किया गया।</p>
--	---

		<p>-ऋण खातों के लिए, जहां बैंक ने ऐसे प्रावधान किए थे जिन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था, हमने इन प्रावधानों के लिए बैंक के मूल्यांकन की समीक्षा की।</p>
<p>ii.</p>	<p>निवेश का मूल्यांकन निवेश विभाग नियामक ढांचे और जोखिम प्रबंधन के मापदंडों के भीतर काम करेगा। बैंक की जोखिम उठाने की क्षमता का ध्यान रखते हुए निवेश पर रिटर्न का अनुकूलन करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेन-देन को रिपोर्टिंग के लिए उचित रूप से वर्गीकृत, मूल्यांकित और हिसाब-किताब किया गया है। उपरोक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन आरबीआई द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है जिसमें एफबीआईएल/एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई पर उद्धृत दरों जैसे विभिन्न स्रोतों से डेटा/जानकारी का</p>	<p>आरबीआई के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे ऑडिट दृष्टिकोण/प्रक्रियाओं में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान और प्रावधान/मूल्यहास से संबंधित निवेशों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण और वास्तविक ऑडिट प्रक्रियाओं की समझ शामिल है। विशेष रूप से -</p> <ul style="list-style-type: none"> • हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, एनपीआई पर आय का उलटाव और निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यहास के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए संस्थान की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन और समझा; • हाथ में निवेश के चयनित नमूने के लिए, हमने सुरक्षा की प्रत्येक श्रेणी

	<p>संग्रह शामिल है। असूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरण आदि। हमने लागू विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की नीतियों के आधार पर कुछ निवेशों (बॉन्ड और डिबेंचर) के मूल्य को निर्धारित करने में शामिल प्रबंधन निर्णय के कारण निवेश के मूल्यांकन और एनपीआई की पहचान को प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में पहचाना।</p>	<p>के लिए मूल्यांकन को फिर से निष्पादित करके आरबीआई मास्टर परिपत्रों और निर्देशों के साथ सटीकता और अनुपालन का परीक्षण किया;</p> <ul style="list-style-type: none"> हमने आरबीआई के परिपत्रों और निर्देशों के अनुसार बनाए रखने के प्रावधान की स्वतंत्र रूप से पुनर्गणना करने के लिए पर्याप्त ऑडिट प्रक्रियाएं अपनाईं। तदनुसार, हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेश से नमूने चुने और आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीआई के लिए परीक्षण किया और आय का संचय इसके अनुसार है। उन चयनित नमूनों के लिए आरबीआई परिपत्र
<p>iii.</p>	<p>वित्तीय रिपोर्टिंग पर मैनुअल नियंत्रण:</p> <p>संस्थान परिचालन की स्थापना के प्रारंभिक चरण में है और खातों की किताबें टैली सॉफ्टवेयर में दर्ज की जाती हैं। वित्तीय लेनदेन की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग पर आईटी</p>	<p>हमने संस्थान द्वारा किए गए आय और व्यय को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त ऑडिट प्रक्रियाएं अपनाई हैं। जहां भी लागू हो, लेनदेन की तर्कसंगतता को सत्यापित करने के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं।</p>

	नियंत्रण की अनुपस्थिति के कारण, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में पहचाना है।	हमने डेटा सटीकता की पुष्टि करने, अनुपालन सुनिश्चित करने, राजकोष संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता की जांच करने के लिए पर्याप्त ऑडिट प्रक्रियाएं अपनाई हैं।
iv.	राजकोषीय कार्य: उन मापदंडों का आकलन करना जिनके अंतर्गत राजकोष और निवेश विभाग कार्य करते हैं। तरलता प्रबंधन, बॉन्ड मूल्यांकन, निवेश, हेज और डेरिवेटिव पर नीति दस्तावेजों के अनुपालन से संबंधित ट्रेडों और स्थिति की बाद की निगरानी	हमने डेटा सटीकता की पुष्टि करने, अनुपालन सुनिश्चित करने, राजकोष संचालन की दक्षता और प्रभावशीलता की जांच करने के लिए पर्याप्त ऑडिट प्रक्रियाएं अपनाई हैं।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

4. अन्य जानकारी के लिए संस्थान प्रबंधन जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। उम्मीद है कि संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराई जाएगी। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे। वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब अन्य जानकारी उपलब्ध हो तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य

जानकारी वित्तीय विवरणों, या ऑडिट में प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा के साथ भौतिक रूप से असंगत है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे भौतिक रूप से ग़लत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जब हम संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण ग़लतबयानी हुई है, तो हमें शासन के प्रभारी लोगों को इस मामले के बारे में सूचित करना आवश्यक है।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियां

5. संस्थान का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में जिम्मेदार है जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के सामान्य नियमों के अनुसार संस्थान की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं। , 2022 और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत जिनमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्र और दिशानिर्देश शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में संस्थान की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; चयन और उपयुक्त लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक ग़लत विवरण से मुक्त होते हैं। चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन संस्थान की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का, जैसा

लागू हो, खुलासा करने और लेखांकन के चालू संस्था के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो संस्थान को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है। संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

संस्थान का प्रबंधन संस्थान की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

6. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार आयोजित ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का

पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए ऑडिट से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों, लेकिन प्रभावशीलता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए वित्तीय विवरणों में लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चालू चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो संस्था की चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण संस्थान एक चालू संस्था के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।

प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं, शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संचारित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों के ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे, और इसलिए प्रमुख ऑडिट मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम उचित रूप से अपेक्षित होंगे। ऐसे संचार के जनहित लाभ कहीं अधिक हैं।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

7. बैलेंस शीट और लाभ और हानि का विवरण नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जनरल रूल्स, 2022 के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(ए) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारे ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे और उन्हें संतोषजनक पाया है।

(बी) संस्थान के लेनदेन, जो हमारी जानकारी में आए हैं, संस्थान की शक्तियों के भीतर रहे हैं।

(सी) हमारी राय में, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है, संस्थान द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की किताबें रखी गई हैं।

(डी) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण खाते की किताबों के अनुरूप हैं;

(ई) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

8. जैसा कि पत्र क्रमांक DOS.ARG द्वारा अपेक्षित है। संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 "वित्तीय वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों (एससीए) की रिपोर्टिंग दायित्वों की नियुक्ति", आरबीआई द्वारा जारी 19 मई, 2020 के बाद के संचार के साथ पढ़ें। हम उपरोक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

(ए) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस हद तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

(बी) वित्तीय लेनदेन या मामलों पर कोई टिप्पणी या टिप्पणी नहीं है जिसका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(सी) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

(डी) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी ऑडिट रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध ए में दी गई है, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक असंशोधित राय व्यक्त की गई है। 31 मार्च, 2024 को।

कृते जे सिंह & एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

FRN- 110266W

जे सिंह

साझेदार

M.No. 042023

UDIN: 24042023BKEXVJ5429

स्थान: मुंबई

दिनांक: 16/04/2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ए"

('अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 8(ई) में संदर्भित)

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट में)

भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा आवश्यक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट पत्र DOS.ARG.No.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित) ("आरबीआई संचार")

हमने 31 मार्च, 2024 को नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ("द इंस्टीट्यूशन") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, साथ ही उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट भी किया है। जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन बैंक द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया"। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। , लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर

तैयारी, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और ऑडिटिंग पर मानक (एसए) के अनुसार किया। ICAI द्वारा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू सीमा तक। वे मानक और मार्गदर्शन

नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरण के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा ऑडिटर्स द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य, नीचे अन्य मामलों के पैराग्राफ में उल्लिखित उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में, बैंक की आंतरिक वित्तीय पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, बैंक की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के

लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री के कारण खराब हो सकता है.

राय

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। , 2024, "इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंड" पर आधारित है।

कृते जे सिंह & एसोसिएट्स

चार्टर्ड अकाउंटेंट

FRN- 110266W

जे सिंह

साझेदार

M.No. 042023

UDIN: 24042023BKEXVJ5429

स्थान: मुंबई

दिनांक: 16/04/2024

31 मार्च, 2024 तक लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण

National Bank for Financing Infrastructure and Development

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

Balance Sheet as at March 31, 2024 / मार्च 31, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(In Rs. Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

	Schedule / अनुसूची	March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)/ (लेखापरीक्षित)	March 31, 2023 (FY 2023) (Audited)/ (लेखापरीक्षित)
Assets/ आस्तियां			
Financial Assets/ वित्तीय आस्तियां			
1. Cash in hand and balances with the Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक के पास हाथ में नकदी और अतिशेष	I	0.03	-
2. Balances with banks/ बैंकों के पास अतिशेष	II	18,215.74	12,941.01
3. Derivative Financial Instruments/ व्युत्पन्न वित्तीय साधन	III	129.81	-
4. Loans/ ऋण	IV	35,342.38	9,753.74
5. Investments/ विनिधान	V	100.00	4,339.82
6. Other financial assets (to be specified) / अन्य वित्तीय आस्तियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	VI	1,298.96	275.89
Non-Financial Assets/ गैर वित्तीय आस्तियां			
1. Property, plant and equipment/ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	VII	10.37	1.62
2. Goodwill/ सद्भावना		-	-
3. Other intangible assets/ अन्य अमूर्त संपत्ति	VIII	14.02	0.24
4. Current tax assets/ वर्तमान कर आस्तियां		-	-
5. Deferred tax assets/ आस्थगित कर आस्तियां		-	-
6. Other non-financial assets (to be specified)/ अन्य गैर -वित्तीय आस्तियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	IX	17.38	2.04
Total assets/ कुल आस्तियां		<u>55,128.69</u>	<u>27,314.36</u>
Equity and liabilities/ साधारण शेयर और देनदारियां			
Financial Liabilities/ वित्तीय देनदारियां			
1. Deposits/ जमा राशियां	X	-	-
2. Borrowings/ उधार	XI	5550.00	800.48
3. Debt Securities/ ऋण प्रतिभूतियां	XII	19668.80	-
4. Derivatives Financial Instruments/ व्युत्पन्न वित्तीय उपस्करों		-	-
5. Other financial liabilities (to be specified)/ अन्य वित्तीय देनदारियां (विनिर्दिष्ट करने के लिए)	XIII	1285.40	-
Non-Financial Liabilities/ गैर वित्तीय देनदारियां			
1. Current tax liabilities/ वर्तमान कर देनदारियां		-	-
2. Deferred tax liabilities/ आस्थगित कर देनदारियां		-	-

	Schedule / अनुसूची	March 31, 2024 (FY 2024) (Audited)/ (लेखापरीक्षित)	March 31, 2023 (FY 2023) (Audited)/ (लेखापरीक्षित)
3. Other non-financial liabilities (including provisions) to be specified)/ अन्य गैर वित्तीय देनदारियां (उपबंध सहित) विनिर्दिष्ट करने के लिए)	XIV	177.09	52.75
Total liabilities/ कुल देनदारियां		26,681.29	853.23
Shareholders' fund/ शेयरधारकों की निधि			
a. Share capital/ शेयर पूंजी	XV	20,000.00	20,000.00
b. Reserves and surplus/ भंडार और अधिअतिशेष	XVI	8,447.40	6,461.13
Total/ कुल		28,447.41	26,461.13
Total equity and liabilities/ कुल साधारण शेयर और देनदारियां		<u>55,128.69</u>	<u>27,314.36</u>
Contingent liabilities/ आकस्मिक देनदारियां	XVII	665.52	270.00

As per our report of even date / सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

For J Singh & Associates/ कृते जे सिंह एंड एसोसिएट्स

Chartered Accountants/ सनदी लेखाकार

FRN./ फर्म पंजीकरण संख्या 110266W

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

J Singh/
जे सिंह

Partner/
साझेदार

M.No./ सदस्यता संख्या 042023

T. N. Manoharan /
टी.एन. मनोहरन

(Director) /
(निदेशक)

DIN: 01186248

Rajkiran Rai G /
राज किरण राय जि

(Managing Director) /
(प्रबंध संचालक)

DIN: 07427647

Monika Kalia/
मोनिका कालिया

(DMD-CFO)
(डीएमडी-सीएफओ)

DIN: 08579733

Place: Mumbai/
स्थान – मुंबई

Date: April 16, 2024

दिनांक: अप्रैल 16, 2024

Samuel Joseph Jebaraj /
शमूएल जोसफ जेबराज

(DMD-L&PF)
(डीएमडी-एल एंड पीएफ)

DIN: 02262530

B. S. Venkatesha
/ बी. एस. वेंकटेशा

(DMD-CRO)
(डीएमडी-सीआरओ)

DIN: 08489577

Behzad Bhesania
/ बेहजाद भेसानिया

(Head Finance)
(विभाग प्रमुख, वित्त)

SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET/ तुलन पत्र की अनुसूचियां:

Schedule I: Cash in hand and balances with the Reserve Bank of India /

अनुसूची-I: भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नकद राशि तथा अतिशेष

(In Rs. Crore)/ (राशि रु करोड़ में)

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. Cash in hand/ उपलब्ध नकद राशि	-	-
2. Balances with the Reserve Bank of India/ भारतीय रिजर्व बैंक के पास अतिशेष	0.03	-
Total (1+2)/ कुल (1+2)	0.03	-

Schedule II: Balances with banks/ अनुसूची-2: बैंकों के पास अतिशेष

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. In India/ भारत में		
a. in current accounts/ चालू खातों में	15.11	0.01
b. in other deposit accounts/ अन्य जमा खातों में	18,200.63	12,941.00
2. Outside India/ भारत के बाहर		
a. in current accounts/ चालू खातों में	-	-
b. in other deposit accounts/ अन्य जमा खातों में	-	-
Total (1+2)/ कुल (1+2)	18,215.74	12,941.01

Schedule III: Derivative financial Instruments/ अनुसूची-3: व्युत्पन्न वित्तीय उपस्करों

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	March 31, 2024 (FY 2024)			March 31, 2023 (FY 2023)		
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)			(Audited)/ (लेखापरीक्षित)		
Part I/ भाग I	Notional amounts आनुमानिक रकम	Fair Value उचित मूल्य- देनदारियां	Fair Value उचित मूल्य- आस्तियां	Notional amounts आनुमानिक रकम	Fair Value उचित मूल्य- देनदारियां	Fair Value उचित मूल्य- आस्तियां
(i) Currency derivatives:/ मुद्रा व्युत्पन्न:	-	-	-	-	-	-
-Spot and forwards/ हाजिर और वायदा	-	-	-	-	-	-
-Currency Futures/ मुद्रा वायदे के सौदे	-	-	-	-	-	-
-Currency swaps/ मुद्रा अदला-बदली	-	-	-	-	-	-

	March 31, 2024 (FY 2024)			March 31, 2023 (FY 2023)		
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)			(Audited)/ (लेखापरीक्षित)		
-Options purchased/ खरीदे गए विकल्प	-	-	-	-	-	-
-Options sold (written) / बिक्री विकल्प(लिखित)	-	-	-	-	-	-
-Others/ अन्य	-	-	-	-	-	-
Subtotal (i)/ उप-योग(i)	-	-	-	-	-	-
(ii) Interest rate derivatives/ ब्याज दर व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
-Forward Rate Agreements and Interest Rate Swaps / वायदा दर करार और ब्याज दर अदला-बदली	24,500.00	-	129.81	-	-	-
-Options purchased/ खरीदे गए विकल्प	-	-	-	-	-	-
-Options sold (written)/ बिक्री विकल्प(लिखित)	-	-	-	-	-	-
-Futures/ फ्यूचर्स	-	-	-	-	-	-
-Others/ अन्य	-	-	-	-	-	-
Subtotal(ii)/ उप-योग(ii)	-	-	-	-	-	-
(iii) Credit derivatives/ ऋण व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
(iv) Equity linked derivatives/ साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
(v) Other derivatives (Please specify)/ अन्य व्युत्पन्न (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-
Total Derivative/ कुल व्युत्पन्न Financial Instruments/ वित्तीय लिखत (i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)	24,500.00	-	129.81	-	-	-
Part II / भाग II						
Included in above (Part I) are derivatives held for hedging and risk management purposes as follows:/ बचाव व्यवस्था और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए उपर्युक्त में शामिल (भाग I) व्युत्पन्न निम्नानुसार हैं:	-	-	-	-	-	-
(i) Fair value hedging:/ उचित मूल्य बचाव व्यवस्था:	-	-	-	-	-	-
- Currency derivatives/ मुद्रा व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- Interest rate derivatives/ ब्याज दर व्युत्पन्न	24,500.00	-	129.81	-	-	-
- Credit derivatives/ प्रत्यय व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- Equity linked derivatives/ साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- Others/ अन्य	-	-	-	-	-	-

	March 31, 2024 (FY 2024)			March 31, 2023 (FY 2023)		
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)			(Audited)/ (लेखापरीक्षित)		
Subtotal (i)/ उप-योग(i)	24,500.00	-	129.81	-	-	-
(ii) Cash flow hedging:/ नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था:	-	-	-	-	-	-
- Currency derivatives/ मुद्रा व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- Interest rate derivatives/ ब्याज दर व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- Credit derivatives / प्रत्यय व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- Equity linked derivatives/ साधारण शेयर से संबद्ध व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
- Others/ अन्य	-	-	-	-	-	-
Subtotal (ii)/ उप-योग(ii)	-	-	-	-	-	-
(iii)Net investment hedging/ निवल विनिधान बचाव व्यवस्था	-	-	-	-	-	-
(iv)Undesignated Derivatives:/ अनामित व्युत्पन्न	-	-	-	-	-	-
Total Derivative Financial Instruments/ कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखत (i)+ (ii)+(iii)+(iv)	24,500.00	-	129.81	-	-	-

Schedule IV: Loans [Net of specific provisions i.e. provisions for Non-Performing Assets]

/ अनुसूची-4: ऋण [विशिष्ट प्रावधानों का योग अर्थात् अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान]

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. a. Bill purchased, and bills discounted/ खरीदे गए बिल और मितिकाटा बिल	-	-
b. Loans repayable on demand/ मांग पर प्रतिदेय ऋण	-	-
c. Term loans/ मीयादी ऋण	35,342.38	9,753.74
d. Others / अन्य	-	-
Subtotal (1)/ उप-योग(I)	35,342.38	9,753.74
2. a. Secured by tangible assets/ मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	27,342.38	5,753.63
b. Secured by intangible assets/ अमूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-
c. Secured by bank/government guarantee/ बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा प्रतिभूत	-	-
d. Unsecured/ प्रतिभूति रहित	8000.00	4,000.11
Subtotal (2)/ उप-योग (2)	35,342.38	9,753.74
3. a. Loans in India / भारत में ऋण	35,342.38	9,753.74
b. Loans outside India/ भारत के बाहर ऋण	-	-
Subtotal (3)/ उप-योग (3)	35,342.38	9,753.74

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
Subtotal (1), (2) and (3) should tally with each other. / उप-योग (1), (2) और (3) एक दूसरे से मेल खाना चाहिए	35,342.38	9,753.74

Schedule V: Investments [net of provisions for depreciation and non-performing investments]

/ अनुसूची-5: विनिधान [मूल्यहास और अनर्जक विनिधान के लिए उपबंधों का योग]

(In Rs. Crores)/(राशि रु करोड़ में)

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. Investment in India/ भारत में विनिधान		
a. Securities of Central and State Governments/ केंद्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	-	4,339.82
b. Shares of banks and financial institutions/ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयर	-	-
c. Bonds, debentures and other securities of banks and financial institutions/ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियां	-	-
d. Units of Mutual Funds and Other units / म्यूचुअल फंड की इकाइयां और अन्य इकाइयां	-	-
e. Shares, bonds, debentures, and other securities of other entities/ अन्य इकाइयों के शेयर, बॉण्ड, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियां	100.00	-
f. Investment in Subsidiaries, associate, and joint ventures/ सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के विनिधान	-	-
g. Others (to be specified)/ अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
Subtotal (1)/ उप-योग (1)	100.00	4,339.82
2. Investment outside India/ भारत के बाहर विनिधान		
a. Government securities/ सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
b. Subsidiaries, associates and joint ventures/ सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम	-	-
c. Others (to be specified)/ अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
Subtotal (2)/ उप-योग (2)	-	-
Total (1+2)/ कुल (1+2)	100.00	4,339.82

Schedule VI : Other financial assets/ अनुसूची-6: अन्य वित्तीय आस्तियां

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. Receivables (Variation Margin Placed)/ प्राप्य राशि (भिन्नता मार्जिन रखा गया)	49.45	-
2. Receivables in respect of insurance claims/ बीमा दावे से संबंधित प्राप्य राशि	-	-

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
3. Others (Interest Accrued)/ अन्य (अर्जित ब्याज)	1,249.51	275.90
Total/ कुल	1,298.96	275.90

Schedule VII : Property, plant and equipment [Net of Depreciation]

/ अनुसूची-7: संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (मूल्यहास का शुद्ध)

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. Properties/ संपत्ति		
a. At cost as on 31st March of the preceding year/ पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
c. Deductions during the year/ वर्ष के दौरान कटौती	-	-
d. Depreciation to date/ आज तक मूल्यहास	-	-
2. Plant and equipment/ संयंत्र और उपस्कर		
a. At cost as on 31st March of the preceding year/ पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
c. Deductions during the year/ वर्ष के दौरान कटौती	-	-
d. Depreciation to date/ आज तक मूल्यहास	-	-
3. Other fixed assets/ अन्य निर्धारित आस्तियां	10.37	1.62
a. At cost as on 31st March of the preceding year/ पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	1.88	0.04
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	11.82	1.84
c. Deductions during the year/ वर्ष के दौरान कटौती	0.02	-
d. Depreciation to date/ आज तक मूल्यहास	3.31	0.26
Total (1+2+3)/ कुल (1+2+3)	10.37	1.62

Schedule VIII: Other Intangible Assets/ अनुसूची-8: अन्य अमूर्त आस्तियां

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. Others Intangible Assets (to be specified)/ अन्य अमूर्त आस्तियां (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
a. At cost as on 31st March of the preceding year/ पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर	0.26	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	14.64	0.26
c. Deductions during the year/ वर्ष के दौरान कटौती	-	-
d. Depreciation to date/ आज तक मूल्यहास	0.88	0.02
Total/ कुल	14.02	0.24

Schedule IX: Other non-financial assets/ अनुसूची-9: अन्य गैर वित्तीय आस्तियां

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. Advances given for procurement of Property, Plant and Equipment/ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के उपापन के लिए दिए गए अग्रिम	-	-
2. Prepaid expenses/ पूर्वसंदत्त व्यय	0.45	0.14
3. Others (major items given below) / अन्य (प्रमुख नीचे निर्दिष्ट है)	16.93	1.90
<i>NCD issue expenses capitalised</i>	<i>13.98</i>	-
<i>Others</i>	<i>2.95</i>	<i>1.89</i>
Total (1+2+3)/ कुल (1+2+3)	17.38	2.04

Schedule X: Deposits/ अनुसूची-10: जमा

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. From Banks/ बैंकों से	-	-
2. From Others (to be specified)/ अन्य से (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
Total (1+2)/ कुल (1+2+3)	-	-

Schedule XI : Borrowings/ अनुसूची-11: उधार

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. Borrowings in India/ भारत में उधार	-	-
a. From Reserve Bank of India/ भारतीय रिज़र्व बैंक से	-	-
b. From Government of India/ भारत सरकार से	-	-
c. Term Loans from Banks/ बैंकों से मीयादी ऋण	5,550.00	-
d. Term Money Borrowings/ मियादी मुद्रा उधार	-	-
e. Others- Overdraft / अन्य से -ओवरड्राफ्ट	-	800.48
Subtotal (1)/ उप-योग (1)	5,550.00	800.48
2. Borrowings outside India/ भारत के बाहर उधार	-	-
a. Multilateral/Bilateral Organisations (to be specified)/ बहुपक्षीय/द्विपक्षीय संगठन (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
b. Other Development Financial Institutions (to be specified)/ अन्य विकास वित्तीय संस्थाएं (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
Subtotal (2)/ उप-योग (2)	-	-
Total (1 + 2)/ कुल (1+2)	5,550.00	800.48

Schedule XII : Debt securities/ अनुसूची-12: ऋण प्रतिभूतियां*

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. Debt securities issued in India/ भारत में जारी ऋण प्रतिभूतियां	-	-
a. Bonds and debentures/ बॉण्ड और डिबेंचर	19,668.80	-
b. Commercial paper/ वाणिज्यिक पेपर	-	-
c. Certificate of deposits/ जमा राशि का प्रमाणपत्र	-	-
d. Others (to be specified)/ अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
Subtotal (1) / उप-योग (1)	19,668.80	-
2. Debt securities issued outside India/ भारत के बाहर जारी ऋण प्रतिभूतियां	-	-
a. Bonds and debentures/ बॉण्ड और डिबेंचर	-	-
b. Others (to be specified)/ अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)	-	-
Subtotal (2) / उप-योग (2)	-	-
Total (1 + 2)/ कुल (1+2)	19,668.80	-

* Debt securities subscribed by the Government of India shall be presented separately under this schedule. / भारत सरकार द्वारा अभिदत्त ऋण प्रतिभूतियों को इस अनुसूची के अंतर्गत अलग से प्रस्तुत किया जाएगा

Schedule XIII: Other financial liabilities/ अनुसूची-13: अन्य वित्तीय देनदारियां

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. Interest accrued/ प्रोदभूत ब्याज	1,159.81	-
2. Unpaid Dividend/ असंदत्त लाभांश	-	-
3. Unpaid matured debentures and interest accrued thereon/ असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और उस पर प्रोदभूत ब्याज	-	-
4. Others (major items specified below)/ अन्य ((प्रमुख नीचे निर्दिष्ट है))	125.59	-
<i>Variation Margin Received</i>	124.87	-
<i>Lease equalisation reserve</i>	0.72	-
Total (1+2+3+4)/ कुल (1+2+3+4)	1,285.40	-

Schedule XIV: Other non-financial liabilities (including provisions) /

अनुसूची-14: अन्य गैर-वित्तीय देनदारियां (उपबंधों सहित)

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. Revenue received in advance/ अग्रिम में प्राप्त राजस्व	0.71	-
2. Provisions/ उपबंध	142.85	39.01
3. Others (major items specified below)/ अन्य (प्रमुख नीचे निर्दिष्ट है)	33.53	13.74
<i>TDS and GST related</i>	11.71	2.09
<i>Sundry Creditors</i>	20.79	11.20
<i>Others</i>	1.03	0.45
Total (1+2+3)/ कुल (1+2+3)	177.09	52.75

Schedule XV: Share capital/ अनुसूची-15: शेयर पूंजी

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. Authorized Capital/ प्राधिकृत पूंजी		
a. Equity Share Capital (1,00,00,00,00,000 Shares of Rs.10/- each)/ साधारण शेयर पूंजी (1,00,00,00,00,000 रुपये के शेयर 10/- प्रत्येक)	1,00,000.00	1,00,000.00

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
2. Issued, Subscribed and Paid-up Capital: / जारी, अभिदत्त और चुकता पूंजी	-	-
a. Equity Share Capital (20,00,00,00,000 Shares of Rs.10/- each fully paid up)/ साधारण शेयर पूंजी (20,00,00,000,000 रुपये के शेयर 10/- प्रत्येक पूरी तरह से चुकता)	20,000.00	20,000.00
Total share capital/ कुल शेयर पूंजी	20,000.00	20,000.00

Schedule XVI : Reserves and Surplus/ अनुसूची-16: आरक्षित और अधिशेष

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. Reserve fund/ आरक्षित निधि		
(Created under Section 24 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021)/ (राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 24 के अंतर्गत सृजित)		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	233.22	23.94
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	320.32	209.28
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	553.54	233.22
2. Capital Reserve/ आरक्षित पूंजी		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	5,295.05	5,000.52
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	384.62	294.53
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग		
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	5,679.67	5,295.05
3. Investment Reserve/ आरक्षित विनिधान		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	-	-
4. Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961/ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन निर्मित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	-	-
5. Revaluation Reserves/ पुनर्मूल्यन आरक्षित		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	-	-
6. General Reserve/ सामान्य आरक्षित		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	-	-
7. Balance in Statement of Profit & Loss Account/ लाभ और हानि खाते के विवरण में अतिशेष		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	932.87	95.76
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,281.31	837.11
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	2,214.18	932.87
8. Other specific reserves (to be specified)/ अन्य विशेष आरक्षित (विनिर्दिष्ट किया जाएगा)		
a. Opening Balance/ प्रारंभिक अतिशेष	-	-
b. Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
c. Utilisations during the year/ वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
d. Closing Balance/ अंतिम अतिशेष	-	-
Total Reserves and Surplus/ कुल आरक्षित और अधिशेष	8,447.40	6,461.13

Schedule XVII : Contingent liabilities/ अनुसूची-17: आकस्मिक देयताएं

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. Claims against the institution not acknowledged as debts/ संस्था के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	-	-
2. On account of guarantees / Letters of Credit/ प्रत्याभूतियों/प्रत्यय पत्रों के लेखे	665.52	270.00
3. On account of forward Contracts/ अग्रिम सविदाओं के लेखे	-	-

	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
4. On account of underwriting commitments/ हामीदारी प्रतिबद्धता के लेखे	-	-
5. On account of uncalled monies on partly paid shares, debentures/ आंशिक रूप से भुगतान किए गए शेयरों, डिबेंचर पर अनावश्यक धन के लेखे	-	-
6. Other items for which the institution is contingently liable (to be specified)/ अन्य मदें जिनके लिए संस्था आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है (विनिर्दिष्ट की जाए)	-	-
Total/ कुल	665.52	270.00

National Bank for Financing Infrastructure and Development

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

Statement of Profit and Loss for the period ended March 31, 2024

/ मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

		Year Ended	
		March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
		(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
Income/ आय			
Interest and discount/ ब्याज और बट्टा	XVIII	2,849.72	1,121.88
Fees and commission income / शुल्क और कमीशन आय		2.47	-
Net gain/(loss) on sale of investments/ विनिधान की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)	XIX	0.56	-
Other Income/ अन्य आय	XX	231.23	5.18
Total income/ कुल आय		<u>3083.98</u>	<u>1,127.06</u>
Expenditure/ व्यय			
Finance Cost/ वित्तीय लागत	XXI	1288.26	3.29
Fees and commission expense/ शुल्क और कमीशन व्यय		0.29	-
Provisions/ reversal on financial assets/ वित्तीय आस्तियों पर उपबंध/ उलट	XXII	101.59	39.78
Employee benefits/ कर्मचारी लाभ	XXIII	37.01	10.18
Depreciation and impairment on property, plant and equipment/ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर मूल्यहास और हानि		3.12	0.28
Amortisation and impairment of intangible assets/ अमूर्त संपत्ति का क्रमिक अपाकरण और हानि		0.80	-
Other expenses/ अन्य व्यय	XXIV	51.27	27.14
Total expenses/ कुल व्यय		<u>1482.34</u>	<u>80.67</u>
Net profit/(loss) before taxes and exceptional items/ करों और असाधारण मदों से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)		1,601.64	1,046.39
Exceptional items/ असाधारण मद			-
Net profit/(loss) before taxes/ करों से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)		<u>1,601.64</u>	<u>1,046.39</u>
Tax expenses/ कर व्यय		-	-
i. Current tax/ वर्तमान कर		-	-
ii. Deferred tax/ आस्थगित कर		-	-
Net Profit/(loss) after tax for the period/ अवधि के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)		<u>1,601.64</u>	<u>1,046.39</u>
Appropriations:/ विनियोजन			
a. Transfer to General Reserve/ सामान्य आरक्षित में स्थानांतरण		-	-

b. Transfer to Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961/ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित में स्थानांतरण		-	-
c. Transfer to Reserve Fund u/s 24 of NaBFID Act 2021/ राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 24 के अधीन आरक्षित में स्थानांतरण		320.32	209.28
d. Others (to be specified)/ अन्य (विनिर्दिष्ट की जाए)			-
e. Surplus in Profit and Loss account carried forward/ लाभ और हानि खाते में अधिअतिशेष को अग्रेषित किया गया		1281.31	837.11
Earnings Per Share/ प्रति शेयर आय			
a. Basic/ आधार		0.80	0.52
b. Diluted/ मंदित		0.80	0.52

As per our report of even date / सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

For J Singh & Associates/ कृते जे सिंह एंड एसोसिएट्स
Chartered Accountants/ सनदी लेखाकार
FRN./ फर्म पंजीकरण संख्या 110266W

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
 निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

J Singh/
 जे सिंह
Partner/
 साझेदार
M.No./ सदस्यता संख्या 042023

T. N. Manoharan/
 टी.एन. मनोहरन
(Director) /
 (निदेशक)
DIN: 01186248

Rajkiran Rai G/
 राज किरण राय जि
(Managing Director) /
 (प्रबंध संचालक)
DIN: 07427647

Monika Kalia/
 मोनिका कालिया
(DMD-CFO)
 (डीएमडी-सीएफओ)
DIN:08579733

Place: Mumbai/
 स्थान – मुंबई
Date: April 16, 2024
 दिनांक: अप्रैल 16, 2024

Samuel Joseph Jebaraj /
 शमूएल जोसफ जेबराज
(DMD-L&PF)
 (डीएमडी-एल एंड पीएफ)
DIN: 02262530

B. S. Venkatesha
 / बी. एस. वेंकटेशा
(DMD-CRO)
 (डीएमडी-सीआरओ)
DIN: 08489577

Behzad Bhesania
 / बेहजाद भेसानिया
(Head Finance)
 (विभाग प्रमुख, वित्त)

SCHEDULES TO PROFIT & LOSS ACCOUNT/ लाभ-हानि खाते की अनुसूचियां

Schedule XVIII : Interest and Discount/ अनुसूची-18: ब्याज और बट्टा

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	Year ended	
	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. Interest and discount income on loans and advances/ ऋण और अग्रिम पर ब्याज और छूट आय	1,276.60	43.42
2. Interest and discount income on investments/ विनिधान पर ब्याज और छूट आय	118.85	733.19
3. Interest on balances with and due from banks/ बैंकों से देय और अतिशेष राशि पर ब्याज	1,097.86	343.50
4. Other interest income (IRS/TRS)/ अन्य ब्याज आय (आई आर एस/ टी आर एस)	356.41	1.78
Total/ कुल	2,849.72	1,121.89

Schedule XIX: Net gain/(loss) on sale of investments / अनुसूची-19: विनिधान की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	Year ended	
	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. Profit on sale of Investments Less: Loss on sale of investments/ कम विनिधान की बिक्री पर लाभ: विनिधान की बिक्री पर हानि	0.56	-
Total/ कुल	0.56	-

Schedule XX : Other income/ अनुसूची-20: अन्य आय

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	Year ended	
	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. Upfront and processing Fees/ अग्रिम और प्रसंस्करण शुल्क	101.08	5.18
2. Income earned by way of dividends on investments/ विनिधान पर लाभांश के रूप में अर्जित आय	-	-
3. Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries, Associates and joint ventures/ सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से अर्जित आय	-	-
4. Foreign exchange gains/(loss) (other than considered as finance costs)/ विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि) (वित्त लागत के अतिरिक्त)	-	-

	Year ended	
	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
5. Other income (major items specified below) / अन्य आय (प्रमुख नीचे निर्दिष्ट है)	130.15	-
Increase/Decrease in Fair Value of IRS/TRS	129.80	-
Others	0.35	-
Total (1+2+3+4+5)/ कुल (1+2+3+4+5)	231.23	5.18

Schedule XXI : Finance Costs/ अनुसूची-21: वित्त लागत

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	Year ended	
	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. Interest on deposits/ निक्षेप पर ब्याज	-	-
2. Interest on borrowings/ उधार पर ब्याज	14.09	3.46
3. Interest on debt securities/ ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	789.68	-
4. Other interest expenses (major items specified below)/ अन्य ब्याज खर्च (प्रमुख नीचे निर्दिष्ट है)	484.49	-
Increase/ Decrease in FV of Bonds	152.80	-
Interest Expense on IRS/TRS	369.60	-
Interest Expense- Grant Benefit	(37.91)	(0.17)
Total/ कुल	1,288.26	3.29

Schedule XXII: Provision on financial assets/ अनुसूची-22: वित्तीय आस्तियों पर प्रावधान

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	Year ended	
	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. Provision for non-performing assets/ अनर्जक आस्तियों के लिए उपबंध	-	-
2. Provision for standard loans/ मानक ऋण के लिए उपबंध	102.36	39.01
3. Provisions/ reversal for diminution in value of investments/ लंबी अवधि के विनिधान के मूल्य में कमी के उपबंध/ उलट	(0.77)	0.77
4. Provisions / Reversals on other financial assets/ अन्य वित्तीय आस्तियों पर उपबंध/उलटाव	-	-
Total/ कुल	101.59	39.78

Schedule XXIII: Employee benefits/ अनुसूची-23: कर्मचारी लाभ

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	Year ended	
	March 31, 2023 (FY 2023)	March 31, 2022 (FY 2022)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. Salaries and wages including bonus on permanent employees / बोनस सहित वेतन और मजदूरी	13.64	2.89
2. Salaries and wages including bonus on deputed employees / बोनस सहित वेतन और मजदूरी	22.08	7.14
3. Contribution to Provident Fund and other funds/ भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	0.53	0.14
4. Staff Welfare expenses/ कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
5. Others (to be specified)/ अन्य (प्रमुख नीचे निर्दिष्ट है)	0.76	0.01
Total/ कुल	37.01	10.18

Schedule XXIV: Other expenses/ अनुसूची-24: अन्य खर्चे

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

	Year ended	
	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
1. Rent, Rates and Taxes/ किराया, दरें और कर	20.16	5.65
2. Electricity and other utilities/ बिजली और अन्य सुविधाएं	0.12	0.01
3. Printing and Stationery/ प्रिंटिंग और स्टेशनरी	0.03	0.03
4. Communication cost/ संचार लागत	-	-
5. Advertisement and publicity/ विज्ञापन और प्रचार	1.14	0.13
6. Directors' fees, allowances, and expenses/ निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्चे	2.46	1.85
7. Auditor's fees and expenses/ लेखापरीक्षक की फीस और व्यय	0.58	0.30
8. Legal and professional charges/ कानूनी और पेशेवर शुल्क	13.84	16.35
9. Repairs and maintenance/ मरम्मत और रखरखाव	-	-
10. Insurance/ बीमा	0.14	-
11. Other Expenditure (major items specified below)/ अन्य व्यय*(प्रमुख नीचे निर्दिष्ट है)	12.80	2.82
Software related expenses/ सॉफ्टवेयर संबंधित व्यय	6.68	-
Subscriptions/ सदस्यता	1.46	1.14

	Year ended	
	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
<i>Travelling & Halting Expenses/ यात्रा और ठहराव व्यय</i>	1.51	0.35
<i>Amortisation of NCD issue expenses/ एनसीडी जारी करने के खर्च का परिशोधन</i>	0.78	-
<i>Others/ अन्य</i>	2.37	2.03
Total/ कुल	51.27	27.14

*Any item under the sub-head 'Other Expenditure' which exceeds one percent of the total income to be presented separately. / 'अन्य व्यय' उप-शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद जो कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक हो, को अलग से दर्शाया जाना है।

National Bank for Financing Infrastructure and Development

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

Cash Flow statement for the period ended March 31, 2024 /

मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट

(In Rs. Crores)/ (राशि रु करोड़ में)

Particulars/ विवरण	Year ended	
	March 31, 2024 (FY 2024)	March 31, 2023 (FY 2023)
	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)	(Audited)/ (लेखापरीक्षित)
A. Cash Flow from Operating Activities/ प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
Profit Before Tax and Extra Ordinary Items/ कर और असाधारण वस्तुओं से पहले लाभ	1601.64	1046.39
Adjustments/ समायोजन:	128.49	40.06
(Profit)/Loss on sale of Fixed Assets (Net) (स्थिर संपत्तियों की बिक्री पर लाभ)/हानि (शुद्ध)	(0)	-
Depreciation/Amortisation and Revaluation Loss/ मूल्यहास/परिशोधन और पुनर्मूल्यांकन हानि	3.91	0.28
Provision for Standard and Restructured Assets and Investments/ मानक और पुनर्गठित परिसंपत्तियों और निवेशों के लिए प्रावधान	102.35	39.01
Net (Gain)/Loss on Fair Value Changes	22.99	-
(Profit) / Loss on revaluation of Investments/ (लाभ)/निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	(0.77)	0.77
Adjustments for (increase) / decrease in operating assets / परिचालन संपत्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन:	(22,287.23)	(4,240.79)
Investments/ निवेश	4,339.83	5,665.45
Advances/ अग्रिम	(25,588.65)	(9,753.74)
Other Non Financial Assets/अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(15.34)	33.50
Other Financial Assets/अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	(1,023.07)	(186.00)
Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities/ परिचालन देनदारियों में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन:	25,573.68	811.37
Borrowings/ उधारी	4,749.52	800.48
Debenture Proceeds/ ऋणपत्र आगम	19,516.00	0.00
Deposits/ जमा	0.00	0.00
Other liabilities and provisions/अन्य देनदारियाँ और प्रावधान	1,308.16	10.89
Net Cash used in/generated from Operating activities/ परिचालन गतिविधियों में प्रयुक्त/उत्पन्न शुद्ध नकदी	5,016.58	(2,342.96)
B. Cash Flow from Investing activities/ निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
Purchase (net of sale) of fixed assets/ अचल संपत्तियों की खरीद (बिक्री का शुद्ध)	(26.45)	(2.09)
Increase/Decrease in HTM Investments/ एचटीएम निवेश में वृद्धि/कमी	(100.00)	-
Net cash (used in) / raised from Investing activities/ शुद्ध नकदी (प्रयुक्त)/निवेश गतिविधियों से जुटाई गई	(126.45)	(2.09)

C. Cash Flow from Financing activities/ वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
Issue of Equity Shares/ इक्विटी शेयर जारी करना	-	-
Long Term Borrowings (forming part of capital)/ दीर्घकालिक उधार (पूंजी का हिस्सा)	-	-
Interest on Grant Money/ अनुदान राशि पर ब्याज	384.63	294.52
Net cash (used in)/ raised from Financing activities/ शुद्ध नकदी (इसमें प्रयुक्त)/वित्तपोषण गतिविधियों से जुटाई गई	384.63	294.52
NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS / नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (A+B+C)	5,274.76	(2,050.53)
OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS/ नकद एवं नकद समकक्ष खोलना	12,941.01	14,991.54
CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	18,215.76	12,941.00

As per our report of even date / सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

For J Singh & Associates/ कृते जे सिंह एंड एसोसिएट्स
Chartered Accountants/ सनदी लेखाकार
FRN./ फर्म पंजीकरण संख्या 110266W

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

J Singh/
जे सिंह
Partner/
साझेदार
M.No./ सदस्यता संख्या042023

T. N. Manoharan
/टी.एन. मनोहरन
(Director)
/(निदेशक)
DIN: 01186248

Rajkiran Rai G
/राज किरण राय जि
(Managing Director)
/(प्रबंध संचालक)
DIN: 07427647

Monika Kalia
/मोनिका कालिया
(DMD-CFO)
/(डीएमडी-सीएफओ)
DIN:08579733

Place: Mumbai/
स्थान – मुंबई
Date: April 16, 2024
दिनांक: अप्रैल 16, 2024

Samuel Joseph Jebaraj
/ शमूएल जोसफ जेबरज
(DMD-L&PF)
(डीएमडी-एल एंड पीएफ)
DIN: 02262530

B. S. Venkatesha
/ बी. एस. वेंकटेशा
(DMD-CRO)
(डीएमडी-सीआरओ)
DIN: 08489577

Behzad Bhesania
/ बेहजाद भेसानिया
(Head Finance)
(विभाग प्रमुख, वित्त)

अनुसूची XXV : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और खातों पर टिप्पणियाँ

1. संस्थागत प्रोफाइल:

28 मार्च 2021 को संसद द्वारा पारित नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट अधिनियम, 2021 ("द एनएबीएफआईडी एक्ट, 2021") के माध्यम से नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ("द इंस्टीट्यूशन") भारत में लंबे समय तक नॉन-रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय निधि का विकास समर्थन करने के लिए, भारत में बॉन्ड और डेरिवेटिव बाजारों के विकास को सहायक बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय वित्त का व्यापार करने के लिए या इससे संबंधित मुद्दों के साथ या उनसे संबंधित मुद्दों के लिए स्थापना की गई है।

संस्थान का विकासात्मक उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों, नियामकों, वित्तीय संस्थानों, संस्थागत निवेशकों और ऐसे अन्य प्रासंगिक हितधारकों के साथ भारत या भारत के बाहर समन्वय करना होगा, ताकि दीर्घकालिक गैर-पुनर्भुगतान अवसंरचना वित्तपोषण के विकास का समर्थन करने के लिए प्रासंगिक संस्थानों के निर्माण और सुधार को सुगम बनाना होगा, जिसमें देशीय बॉन्ड और व्युत्पन्न बाजार शामिल हैं।

संस्थान का वित्तीय उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना होगा और निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों से भारत में स्थित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में, या आंशिक रूप से भारत में और आंशिक रूप से भारत के बाहर निवेश को आकर्षित करना होगा, ताकि भारत में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले।

नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट अधिनियम, 2021 की धारा 25 के संदर्भ में संस्थान की तुलन पत्र और खातों की तैयारी, तुलन पत्र और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (नैबफिड) के लाभ और हानि का विवरण और एनएबीएफआईडी सामान्य विनियम की धारा 4 (जे) दिनांक 02 मार्च, 2022 त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों की जांच से संबंधित और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित किया जाना आवश्यक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 09 मार्च, 2022 के पत्र के माध्यम से सलाह दी है कि नाबफिड को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षण किया जाएगा। नाबफिड एक्विज़म बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी के बाद भारत में पांचवां एआईएफआई है।

2. भारतीय लेखांकन मानक (Ind AS) कार्यान्वयन

नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (नाबफिड) के वित्तीय विवरणों को लेखांकन मानक सामान्यीकृत लेखांकन सिद्धांतों के तहत तैयार किया जाएगा। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी भारतीय

वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के लिए पहले निर्धारित के अनुरूप है, एआईएफआई के लिए भारतीय लेखा मानक (इंड एस) के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया गया है। भविष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एआईएफआई के लिए इंड एस को अपनाने के लिए भविष्य के निर्देश पर, नाबफिड द्वारा इंड एस पर लागू होने वाले उपयुक्त प्रारूपों को अपनाया जाएगा।

3. महत्वपूर्ण लेखा नीति

3.1 तैयारी का आधार

वित्तीय विवरणों को नाबफिड अधिनियम, 2021 और उसके नियमों और विनियमों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लागू लेखा मानक और भारत में सभी भारतीय वित्तीय संस्थानों में आम तौर पर प्रचलित प्रथाएं या जैसा कि समय-समय पर बोर्ड द्वारा संशोधित का अनुपालन करने के लिए सभी महत्वपूर्ण मामलों में तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के तहत लेखांकन के संचय आधार पर तैयार किए गए हैं, जो अन्यथा बताए गए को छोड़कर, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार हैं।

अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएपी) के अनुरूप होगी और प्रबंधन को अनुमान लगाने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होगी जो कि संपत्ति, देनदारियों, आकस्मिक देयता और रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट की गई आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा को वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि ये अनुमान और अनुमान उचित और विवेकपूर्ण हैं। हालाँकि, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन के प्रभाव को परिवर्तन की अवधि से संभावित रूप से पहचाना जाता है।

3.2 राजस्व मान्यता

राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब संविदात्मक प्रदर्शन के रूप में आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाता है, यह संभव है कि आर्थिक लाभ संस्था को प्रवाहित होंगे और राजस्व को मज़बूती से मापा जा सकता है।

3.2.1 आय

- i. लाभ और हानि खाते में आय सकल के रूप में दिखाई जाती है अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधानों से पहले और संस्थान की आंतरिक नीति के अनुसार अन्य अन्य प्रावधानों के अनुसार दिखाया गया है।

- ii. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को छोड़कर, एएस -9 राजस्व मान्यता के अनुसार ब्याज आय का उपार्जन आधार पर लेखांकन किया जाता है, जहां इसे आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार प्राप्ति पर मान्यता दी जाती है।
- iii. शुल्क आय, जिसमें कमीशन, प्रतिबद्धता शुल्क, सेवा शुल्क और रॉयल्टी आय शामिल है, तब मान्यता दी जाती है जब वे देय हो जाते हैं, या जब सहमत सेवा / मुकाम के पूरा होने और प्रतिपक्ष के साथ सहमति अनुसार स्वीकृति प्राप्त होने पर या जब बैंक को अंतिम दायित्व के बारे में यथोचित रूप से निश्चित होता है।
दृष्टव्य: शुल्क आय में ऋण प्रसंस्करण शुल्क, परियोजना मूल्यांकन शुल्क, संरचना शुल्क, व्यवस्थापक शुल्क, सिंडिकेशन शुल्क आदि जैसी उधार गतिविधियों से संबंधित शुल्क और सलाहकार शुल्क जैसी गैर-उधार गतिविधियों से संबंधित शुल्क शामिल होंगे।
- iv. इंस्ट्रूमेंट के कार्यकाल में इंस्ट्रूमेंट पर प्रीमियम / छूट को मान्यता दी जाती है।
- v. लाभांश आय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है।
- vi. किसी भी श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि लेनदेन के पूरा होने पर मान्यता दी जाती है।

3.2.2 व्यय

- i. सभी व्ययों का लेखांकन उपार्जन आधार पर किया जाता है।
- ii. जारी किए गए बॉन्ड्स पर प्रीमियम / छूट को बॉन्ड्स के कार्यकाल में समायोजित किया जाता है।
- iii. पट्टे लेनदेन जहां पट्टेदाता प्रभावी रूप से पट्टे की अवधि के दौरान स्वामित्व के लगभग सभी जोखिमों और लाभों को बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसंपत्तियों के लिए पट्टे किराये का भुगतान, लागत वृद्धि सहित, सीधी रेखा आधार पर मान्यता दी जाती है।
- iv. शुल्क आय को लाभ और हानि विवरण में तब लगाया जाएगा जब वे देय हो जाते या जब सहमत सेवा / मुकाम के पूरा होने और प्रतिपक्ष के साथ सहमति अनुसार स्वीकृति प्राप्त होने पर या जब बैंक को अंतिम दायित्व के बारे में यथोचित रूप से निश्चित होता है।
- v. डाउन बेचने (सिंडिकेशन) के लिए प्रस्तावित परिसंपत्ति पर शुल्क भुगतान का प्रावधान तब किया जाएगा जब परिसंपत्ति को डाउन सेल के लिए पहचाना जाएगा।
- vi. पूर्व-भुगतान व्यय का सेवा / सदस्यता की अवधि में समायोजन किया जाएगा। हालांकि, रु. 5,00,000/- तक का व्यय उस वर्ष में सीधे लाभ और हानि विवरण में लगाया जाएगा जिसमें यह खर्च किया जाता है।

3.3 वेश:

निवेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक के एआईएफआई के संदर्भ संख्या RBI/2015-16/104: DBR.NO.FID.FIC.3/01.02.00/2015-16 दिनांक 01 जुलाई 2015 की दिशानिर्देशों के अनुसार वर्गीकृत और मूल्यांकित किया जाता है।

- i. निवेशों के लिए महत्वपूर्ण लेखा, वर्गीकरण और मूल्यांकन सिद्धांत भारतीय रिज़र्व बैंक के निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार हैं। संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को "आवश्यकतानुसार धारित", "बिक्री के लिए उपलब्ध" और "ट्रेडिंग के लिए धारित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ii. बैलेंस शीट में प्रकटीकरण के लिए, निवेशों को छह श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। (a) सरकारी प्रतिभूतियां, (b) अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां, (c) शेयर (d) डिबेंचर और बॉन्ड, (e) सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम और (f) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड इकाइयां, सुरक्षा प्राप्तियां, जमा प्रमाण पत्र आदि)
- iii. निवेशों की श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के हस्तांतरण का हिसाब भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

ध्यान दें: - निवेश से संबंधित अधिग्रहण के समय किए गए लागत, जैसे ब्रोकरेज, कमीशन आदि को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है। विघटित अवधि का ब्याज लाभ और हानि खाते में लिया जाता है।

3.4 हेज / डेरिवेटिव का लेखांकन:

- i. बैंक द्वारा निष्पादित हेज का लेखा-जोखा बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति के अनुरूप किया जाएगा, जो लागू लेखांकन मानकों और उससे संबंधित मार्गदर्शन नोटों के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें समझौते के नियमों और शर्तों को ध्यान में रखा जाएगा। हेज लेनदेन के लिए, बैंक लेनदेन की शुरुआत में ही हेज किए गए आइटम (आस्ती या देयता) की पहचान करता है। प्रभावशीलता का पता लेनदेन की शुरुआत के समय और उसके बाद समय-समय पर लगाया जाता है।
- ii. बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के लेखांकन (संशोधित 2021) पर मार्गदर्शन नोट की आवश्यकताओं को अपनाया है। बैंक अपनी व्युत्पन्न संपत्तियों और देनदारियों को अलग-अलग लाइन मदों के रूप में प्रस्तुत करता है। बैंक उक्त मार्गदर्शन नोट की हेज लेखांकन आवश्यकताओं के अनुपालन में अपनी देयता के वहन मूल्य में समायोजन करता है।

3.5 अग्रिम

- i. ऋण और अग्रिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्तियों को आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर प्रदर्शनरत और गैर-प्रदर्शनरत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। गैर-प्रदर्शनकारी परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। बैलेंस शीट में बताए गए अग्रिम गैर-प्रदर्शनकारी अग्रिमों और पुनर्गठित परिसंपत्तियों के लिए किए गए प्रावधानों के शुद्ध हैं।
- ii. आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों पर सामान्य प्रावधान किया जाता है।
- iii. किसी खाते को पुनर्गठित माना जाता है, जहां ऋणदाता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक या कानूनी कारणों से, बैंक ऋणदाता को रियायतें देता है, जिस पर बैंक अन्यथा विचार नहीं करेगा। आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर उधारकर्ताओं को दी गई मोहलत को ऋण के पुनर्गठन के रूप में नहीं माना जाता है। गैर-प्रदर्शनरत और पुनर्गठित ऋणों को वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार मानक में उन्नत किया जाता है।

3.6 कर्मचारी लाभ

- i. अल्पकालीन कर्मचारी लाभ
 - a. अल्पकालीन कर्मचारी लाभों में वेतन और अन्य मुआवजे शामिल होते हैं जो उन सेवाओं के लिए देय होते हैं जो कर्मचारी ने अवधि के दौरान प्रदान की हैं। अल्पकालीन लाभों के कारण देयता का निर्धारण बिना छूट राशि पर किया जाता है और उस सेवा अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जो कर्मचारियों को ऐसे लाभों का हकदार बनाती है।
 - ii. परिभाषित अंशदान योजनाएं
 - a. बैंक अपने कर्मचारियों के लिए अंशदान देयता से संबंधित परिभाषित अंशदान योजनाएं संचालित करता है। परिभाषित अंशदान योजना के तहत भुगतान, संगठन की नीति के अनुसार या भुगतान अधिनियम 1972 और उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार न्यूनतम निर्धारित निरंतर सेवा अवधि के बाद होता है। बैंक का दायित्व सहमत लाभ प्रदान करना है जो योगदान करने के लिए सहमत राशि तक सीमित है। प्रोद्भवन को उस अवधि के दौरान पूर्ण रूप से मान्यता दी जाती है जिसमें वे लाभ और हानि विवरण में होते हैं, एक संबंधित देयता खाता बनाए रखा जाएगा।
 - b. सेवानिवृत्ति लाभ पेंशन फंड के रूप में जहां कर्मचारी ने उसी का विकल्प चुना है, संस्थान पूर्व-निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है और संस्थान का दायित्व ऐसे ही निश्चित अंशदान तक सीमित होता है। अंशदान लाभ और हानि खाते में लिया जाता है।
 - c. भविष्य निधि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ अपने कर्मचारियों के लिए एक परिभाषित अंशदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी अपने मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत योगदान करता है और बैंक योजना के अनुसार पात्र कर्मचारियों के लिए समान राशि का योगदान करता है। बैंक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा प्रशासित कर्मचारी पेंशन योजना के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 द्वारा अपेक्षित योगदान करता है।

कंपनी का भविष्य निधि में देय अंशदान के अलावा कोई दायित्व नहीं है। कंपनी भविष्य निधि योजना में देय अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता देती है जब कोई कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

- d. छुट्टी नीति के अनुसार, पात्र कर्मचारी रोजगार अवधि के दौरान कुछ संचित छुट्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। कंपनी मापन उद्देश्यों के लिए लंबी अवधि के कर्मचारी लाभ के रूप में आगे बढ़ने की अपेक्षित संचित छुट्टी के रूप में मानती है। आगे बढ़ाए गए अवकाश के अनुरूप मूल्य को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है और एक समान देयता खाता बनाए रखा जाएगा।

3.7 स्थायी संपत्तियां

- i. स्थायी संपत्तियों का मूल्य संचित मूल्यहास और हानि के बाद अधिग्रहण लागत पर होता है, यदि कोई हो। परिसंपत्ति की लागत में खरीद लागत और परिसंपत्ति को उपयोग में लाने से पहले उस पर किए गए सभी खर्च शामिल होते हैं। उपयोग में लाई गई संपत्तियों पर किए गए बाद के खर्च का पूंजीकरण तभी किया जाता है जब यह ऐसी संपत्तियों या उनकी कार्यशील क्षमता से भविष्य के लाभों को बढ़ाता है।
- ii. पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास निम्नलिखित आधार पर प्रदान किया जाता है:
- भवन @ डब्ल्यूडीवी आधार पर 5 प्रतिशत
 - फर्नीचर और फिक्स्चर मूल्यहास @ 33.33% सीधी रेखा विधि (3 वर्ष उपयोगी जीवन)।
 - कार्यालय उपकरण @ 33.33% सीधी रेखा विधि (3 वर्ष उपयोगी जीवन)
 - विद्युत अधिष्ठापन: स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए @ 33.33% सीधी रेखा विधि (3 वर्ष उपयोगी जीवन)।
 - आईटी उपकरण (अर्थात् कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर आदि और सॉफ्टवेयर) @ 33.33% सीधी रेखा विधि (3 वर्ष उपयोगी जीवन)।
 - मोटर कार - सीधी रेखा विधि @ 50 प्रतिशत (2 वर्ष उपयोगी जीवन)।
 - पट्टा भूमि, पट्टा परिसर का परिशोधन पट्टे की अवधि में किया जाता है।
- पूंजीकरण की तिथि से आनुपातिक और बिक्री / निपटान के वर्ष में आनुपातिक रूप से वृद्धि / नए अधिग्रहण पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।
- पुनर्मूल्यांकित / क्षीण परिसंपत्तियों के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित परिसंपत्ति मूल्यों के संदर्भ में मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

बैंक अधिग्रहण के वर्ष में लाभ और हानि विवरण में शुल्क के माध्यम से 10,000 रुपये तक की राशि का पूर्ण मूल्यहास करेगा।

हानि की पहचान के लिए, आंतरिक / बाहरी कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत होने पर, प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है।

3.8 आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान

एस -29 प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार, संस्था तब प्रावधानों को मान्यता देती है जब उसे पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है, और यह संभावना है कि संसाधनों का बहिर्गमन होगा और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाती है और न ही उनका खुलासा किया जाता है। आकस्मिक देनदारियों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है और उन्हें बैलेंस शीट में प्रकट नहीं किया जाता है और विवरण बैलेंस शीट की अनुसूची के माध्यम से दिए जाते हैं। प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों की प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है।

3.9 अनुदान और सब्सिडी

सरकार और अन्य एजेंसियों से अनुदान और सब्सिडी का लेखा लागू लेखांकन मानकों के अनुसार किया जाता है, जिसमें समझौते के नियमों और शर्तों और बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीति को ध्यान में रखा जाता है।

3.10 नकद और नकद समतुल्य

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए नकद और नकद समतुल्य में हाथ में नकद, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष राशि, अन्य बैंकों के साथ शेष राशि और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ म्यूचुअल फंड में निवेश शामिल है।

3.11 प्रति शेयर आय (ईपीएस)

मूल और समायोजित (डिल्युटेड) प्रति शेयर आय की गणना वर्ष के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ या हानि को इक्विटी शेयरधारकों को देय राशि से विभाजित करके की जाती है, जिसे वर्ष के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित किया जाता है।

4. खातों के लिए टिप्पणियां

4.1 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम तैयार करने में लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसा कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए किया गया था।

4.2 नाबफिड को 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान भारत सरकार से 5,000 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है और इसका उपयोग बोर्ड द्वारा स्वीकृत दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। नाबफिड को संबोधित 06 जुलाई, 2023 दिनांकित भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र के अनुसार, उक्त अनुदान नाबफिड की टियर I पूंजी का हिस्सा है।

4.3 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना संख्या 31/2022/एफ नंबर 370142/17/2022-टीपीएल दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के माध्यम से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(48D) के प्रयोजनों के लिए नाबफिड को अधिसूचित किया है, जिसका प्रभाव मूल्यांकन वर्ष 2022-23 से शुरू होने वाले लगातार दस मूल्यांकन वर्षों के लिए आयकर से छूट प्रदान करना है।

4.4 नाबफिड ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियां जारी की हैं, जिनका कुल मूल्य रु 19,516 करोड़ है, जिनमें से रु 10,000 करोड़ की अवधि 10 वर्ष और रु 9,516 करोड़ की अवधि 15 वर्ष थी। एनसीडी एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध हैं और जारी किए गए व्यय को बांड अवधि में परिशोधित करने के लिए पूंजीकृत किया जाता है।

4.5 नाबफिड ने अंतर्निहित वित्तीय उपकरणों के विरुद्ध रु 18,000 करोड़ (पिछला वर्ष - शून्य) की नाममात्र राशि का ब्याज दर स्वैप (INR Interest Rate Swap) किया है। तदनुसार, हेजिंग उपकरण और हेज किए गए जोखिम का उचित मूल्य वित्तीय विवरणों में दर्ज किया जाता है। लाभ और हानि में अंतर्निहित संपत्ति/देयताओं के एफवी (उचित मूल्य) से उत्पन्न होने वाले शुद्ध लाभ/हानि और हेज किए गए उपकरणों के उचित मूल्य प्रभाव का एमटीएम (MTM) लाभ शामिल है। NCD को बैलेंस शीट की तारीख पर ₹19,668.79 करोड़ रुपये पर उचित मूल्य पर आंका गया है। इसके अलावा व्युत्पन्न IRS सौदों के उचित मूल्यांकन के कारण, ₹129.80 करोड़ रुपये की संपत्ति को मान्यता दी गई है।

4.6 नाबफिड वर्तमान में परिसर से कार्य कर रहा है जिसे पांच वर्षों के लिए लीज पर लिया गया है। लीज अवधि के दौरान लीज किराये में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, लीज समानीकरण आरक्षित निधि (Lease Equalization Reserve) बनाया गया है।

4.7 वर्ष के दौरान, रु 24.09 करोड़ की संपत्तियों का पूंजीकरण किया गया, जिनमें से रु 9.88 करोड़ कार्यालय स्थान पर लीजहोल्ड अहाता /भवन और अन्य अचल संपत्तियों में सुधार से संबंधित हैं और रु

14.21 करोड़ विकसित सॉफ्टवेयर और सिस्टम से संबंधित हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान रु 2.37 करोड़ का सीडब्ल्यूआईपी जोड़ा गया है।

4.8 नाबफिड केवल बुनियादी ढांचा क्षेत्र को वित्त प्रदान करता है और इसलिए रिपोर्टिंग के लिए लेखांकन मानक 17 खंड रिपोर्टिंग के अनुपालन के उद्देश्यों के लिए कोई प्राथमिक व्यवसाय खंडों की पहचान नहीं की गई है।

4.9 बैंक के विरुद्ध दावा जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया - शून्य

4.10 665.52 करोड़ रुपये की आकस्मिक देयता उधारकर्ताओं के साथ बकाया गैर-निधि सुविधाओं से संबंधित है।

4.11 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी अन्य नियामक द्वारा कोई दंड नहीं लगाया गया है।

4.12 वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2024 की अवधि की शुरुआत में, अवधि के दौरान और समाप्ति पर लंबित निवेशकों की शिकायतों की संख्या शून्य है।

4.13 प्रति शेयर आय (ईपीएस) (एएस-20):

लेखा मानक 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार मूल और समायोजित प्रति शेयर आय नीचे दी गई है।

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2024
प्रति शेयर आय (मूल/समायोजित)	0.80	0.52

4.14 प्रस्तावित लाभांश शून्य है।

4.15 शुल्क और कमीशन आय में उधारकर्ताओं को गैर-निधि सुविधाओं पर कमीशन शामिल है। शुल्क और कमीशन व्यय में एलसी / बीजी जारी करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रभारित कमीशन शामिल है।

4.16 लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक

लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल हैं:

(राशि रु करोड़ में)

विवरण	मार्च 31, 2024 (FY 2024)	मार्च 31, 2023 (FY 2023)
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.11	0.11
टैक्स ऑडिट फीस	0.05	0.05

सीमित समीक्षा शुल्क	0.15	0.08
वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण	0.05	0.05
अन्य प्रमाणपत्र	0.22	0.01
योग	0.58	0.30

4.17 संबंधित पार्टियों की सूची (एएस 18):

नाम	पदनाम (प्रमुख प्रबंधन कार्मिक)	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक
श्री राजकिरण राय जी	प्रबंध निर्देशक	11,43,90,000
सुश्री मोनिका कालिया	उप प्रबंध निर्देशक - मुख्य वित्तीय अधिकारी	
श्री बी एस वैकटेश	उप प्रबंध निर्देशक - मुख्य जोखिम अधिकारी	
श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज	उप प्रबंध निर्देशक - उधार और परियोजना वित्त	
सुश्री ऐश्वर्या म्हात्रे	कंपनी सचिव	

4.18 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 24 सितंबर, 2021 के ऋण प्रदर्शन के हस्तांतरण पर निर्देश के तहत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान हस्तांतरित / प्राप्त ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है:

a. डिफॉल्ट, हस्तांतरित या प्राप्त न किए गए ऋणों का प्रकटीकरण :-

(राशि रु करोड़ में)

वित्त वर्ष 2023-24 के विवरण	FY 24	FY 23
डिफॉल्ट न किए गए ऋणों का विवरण - हस्तांतरित:		
हस्तांतरित ऋणों की कुल राशि (रु करोड़ में)	23.80	Nil
भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	15	-
उत्पत्तिकर्ता द्वारा भारित औसत धारण अवधि (वर्षों में)	1x	-
उत्पत्तिकर्ता द्वारा लाभदायक आर्थिक हित का प्रतिधारण	A	-
मूर्त सुरक्षा कवरेज	-	-
रेटिंग के अनुसार रेटेड ऋणों का वितरण	-	-
डिफॉल्ट न किए गए ऋणों का विवरण - अधिग्रहण:		
अधिग्रहण ऋणों की कुल राशि (रु करोड़ में)	4,258	Nil

भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	18	-
उत्पत्तिकर्ता द्वारा लाभदायक आर्थिक हित का प्रतिधारण	Nil	-
मूर्त सुरक्षा कवरेज	1x	-
रेटिंग के अनुसार रेटेड ऋणों का वितरण	-A to AAA	-

ध्यान दें: - हस्तांतरणकर्ता (ओं) को हस्तांतरित ऋणों को बदलने या किसी भी प्रतिनिधित्व या वारंटी से उत्पन्न होने वाले क्षति के भुगतान के शून्य उदाहरण।

b. हस्तांतरित या अधिग्रहित तनावग्रस्त ऋणों का प्रकटीकरण:-

(राशि रु करोड़ में)

वित्त वर्ष 2023-24 के विवरण	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरियों को	अन्य हस्तांतरियों को (कृपया निर्दिष्ट करें)
तनावग्रस्त ऋणों (एनपीए) का विवरण - हस्तांतरित:			
खाता(ओं) की संख्या	NIL	NIL	NIL
हस्तांतरित ऋण की शेष मूल राशि का कुल योग	-	-	-
हस्तांतरित ऋण का भारित औसत शेष कार्यकाल	-	-	-
हस्तांतरित ऋण का शुद्ध पुस्तक मूल्य (हस्तांतरण के समय)	-	-	-
कुल प्रतिफल	-	-	-
पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	-	-
तनावग्रस्त ऋणों (एसएमए) का विवरण - हस्तांतरित			
खाता(ओं) की संख्या	NIL	NIL	NIL
हस्तांतरित ऋण की शेष मूल राशि का कुल योग	-	-	-
हस्तांतरित ऋण का भारित औसत शेष कार्यकाल	-	-	-
हस्तांतरित ऋण का शुद्ध पुस्तक मूल्य (हस्तांतरण के समय)	-	-	-
कुल प्रतिफल	-	-	-
पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	-	-

तनावग्रस्त ऋणों (एसएमए/एनपीए) का विवरण - अधिग्रहण	खंड 3 में सूचीबद्ध ऋणदाताओं से	एआरसी से
हस्तांतरित ऋण की शेष मूल राशि का कुल योग	NIL	NIL
कुल प्रतिफल	-	-
अधिग्रहण ऋण की भारित औसत शेष अवधि	-	-

ध्यान दें: - एआरसी को हस्तांतरित तनावग्रस्त ऋणों के संबंध में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी किए गए सुरक्षा प्राप्तियों (एसआर) में कोई निवेश नहीं किया गया है।

Disclosure in Financial Statements (as per RBI Guidelines)वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण - 'खातों पर टिप्पणियां' (आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार)1.0 Capital Adequacy/ पूंजी पर्याप्तता

(Rs crore)

Sr. No.	Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
i)	Common Equity/ आम इक्विटी	28 419.39	26 460.89
ii)	Additional Tier 1 capital/ अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	-	-
iii)	Total Tier 1 capital (i+ii)/ कुल टियर 1 पूंजी (i+ii)	28 419.39	26 460.89
iv)	Tier 2 capital/ टियर 2 पूंजी	141.37	-
v)	Total Capital (Tier 1+Tier 2)/ कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	28 560.76	-
vi)	Total Risk Weighted Assets (RWAs)/ कुल जोखिम भारित संपत्तियां	24 825.59	6 247.23
vii)	Common Equity Ratio (Common Equity as a percentage of RWAs)/ सामान्य इक्विटी अनुपात (RWA के प्रतिशत के रूप में सामान्य इक्विटी)	114.48%	423.56%
viii)	Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)/ टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	114.48%	423.56%
ix)	Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs) कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो (CRAR) (RWA के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	115.05%	423.56%
x)	Percentage of the shareholding of the Government of India in the AIFI/ एआईएफआई में भारत सरकार की हिस्सेदारी का प्रतिशत	100.00%	100.00%
xi)	Amount of equity capital raised/ जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	20 000.00	20 000.00

xii)	Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which/ जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि; जिसका कि a.) Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS)/ बेमियादी गैर-संचयी वरीयता शेयर: b.) Perpetual Debt Instruments (PDI)/ सदा ऋण साधन	-	-
xiii)	Amount of Tier 2 capital raised; of which/ जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि; जिसका कि a.) Debt capital instruments/ ऋण पूंजी साधन: b.) Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS)/ सतत संचयी वरीयता शेयर c.) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)/ प्रतिदेय गैर-संचयी वरीयता शेयर d.) Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)/ प्रतिदेय संचयी वरीयता शेयर	-	-

2. **Free Reserves and Provisions/ मुक्त भंडार और प्रावधान:**

2.1 Provision on Standard Assets/ मानक आस्तियों पर प्रावधान

(Rs crore)

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
Provisions towards Standard Assets/ मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	141.37	39.01

2.2 Floating Provisions/ फ्लोटिंग प्रावधान

(Rs crore)

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
(a) Opening balance in the floating provisions account/ फ्लोटिंग प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष		
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year / लेखा वर्ष में किए गए फ्लोटिंग प्रावधानों की मात्रा	Nil	Nil
(c) Amount of drawdown made during the accounting year/ लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रॉडाउन की राशि		
(d) Closing balance in the floating provisions account/ फ्लोटिंग प्रावधान खाते में अंतिम शेष		

3. Asset Quality and specific provisions/ संपत्ति की गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

3.1 Non-Performing Advances/ अनर्जक अग्रिम

(Rs crore)

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
(i) Net NPAs to Net Advances (%) / नेट एनपीए से नेट एडवांस		
(ii) Movement of NPAs (Gross)/ एनपीए का संचलन (सकल)		
(a) Opening balance/ प्रारंभिक शेष		
(b) Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन	Nil	Nil
(c) Reductions during the year/ वर्ष के दौरान कटौती		
(d) Closing balance/ समापन संतुलन		
(iii) Movement of Net NPAs/ नेट एनपीए का संचलन		
(a) Opening balance/ प्रारंभिक शेष		
(b) Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(c) Reductions during the year/ वर्ष के दौरान कटौती		

<p>(d) Closing balance/ समापन संतुलन</p> <p>(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)/ एनपीए के प्रावधानों में बदलाव (मानक संपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)</p> <p>(a) Opening balance/ प्रारंभिक शेष</p> <p>(b) Provisions made during the year/ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान</p> <p>(c) Write off / write back of excess provisions/ अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ/राइट बैक करें</p> <p>(d) Closing balance/ जमा शेष</p>		
--	--	--

3.2 Non-Performing Investments/ गैर-निष्पादित निवेश

(Rs crore)

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
(i) Net NPAs to Net Investments (%) / शुद्ध एनपीआई से शुद्ध निवेश		
(ii) Movement of NPAs (Gross) / एनपीआई का संचलन (सकल)		
(a) Opening balance / प्रारंभिक शेष	Nil	Nil
(b) Additions during the year / वर्ष के दौरान परिवर्धन		
(c) Reductions during the year / वर्ष के दौरान कटौती		
(d) Closing balance / समापन संतुलन		
(iii) Movement of Net NPAs / शुद्ध एनपीआई का संचलन		
(a) Opening balance / प्रारंभिक शेष	Nil	Nil
(b) Additions during the year // वर्ष के दौरान		

परिवर्धन (c) Reductions during the year/ वर्ष के दौरान कटौती (d) Closing balance/ समापन संतुलन		
(iv) Movement of provisions for NPAs/ (excluding provisions on standard assets)/ एनपीआई के लिए प्रावधानों का संचलन/(मानक संपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर) (a) Opening balance/ प्रारंभिक शेष (b) Provisions made during the year/ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (c) Write off / write back of excess provisions/ अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ / राइट बैक करें (d) Closing balance/ समापन संतुलन	Nil	Nil

3.3 Non-Performing Assets (3.1 + 3.2)/ गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (3.1 + 3.2)

(Rs crore)

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
(i) Net NPAs to Net Assets (Advance + investments) (%) / शुद्ध संपत्ति (अग्रिम + निवेश) के लिए शुद्ध एनपीए (%)		
(ii) Movement of NPAs (Gross Advances + Gross investments)/ एनपीए में उतार-चढ़ाव (सकल अग्रिम + सकल निवेश) (a) Opening balance/ प्रारंभिक शेष (b) Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन (c) Reductions during the year/ वर्ष के दौरान कटौती (d) Closing balance/ समापन संतुलन	Nil	Nil
(iii) Movement of Net NPAs/ नेट एनपीए का संचलन		

(a) Opening balance/ प्रारंभिक शेष (b) Additions during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन (c) Reductions during the year/ वर्ष के दौरान कटौती (d) Closing balance/ समापन संतुलन (iv) Movement of provisions for NPAs/ (excluding provisions on standard assets)/ एनपीए के लिए प्रावधानों का संचलन/(मानक संपत्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(a) Opening balance/ प्रारंभिक शेष (b) Provisions made during the year/ वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (c) Write off / write back of excess provisions/ अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ/राइट बैक करें (d) Closing balance/ समापन संतुलन		

3.4 Particulars of Accounts Restructured/ पुनर्गठित खातों का विवरण
 No accounts were restructured during FY 2023-24 and FY 2022-23.

3.5 Movement of Non-performing assets/ गैर-निष्पादित संपत्तियों का संचलन

(Rs crore)

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
Gross NPAs as on opening date of accounting period (Opening Balance)/ लेखा अवधि की आरंभिक तिथि को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	Nil	Nil
Additions (Fresh NPAs) during the year/ वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए)।		
Sub-total (A)/ उप-योग (ए)		

Less:-/ कम:-		
(i) Upgradations/उन्नयन		
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)/ वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर)		
(iii) Technical / Prudential Write offs/ तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना		
(iv) Write offs other than those under (iii) above/ ऊपर (iii) के तहत बट्टे खाते में डालने वालों को छोड़कर		
Sub-total (B)/ उप-योग (बी)		
Gross NPAs as on March 31 (A-B)/ 31 मार्च (ए-बी) तक सकल एनपीए		

3.6 Write-offs and recoveries/ राइट-ऑफ और वसूली

(Rs crore)

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
Opening balance of Technical / Prudential written off accounts as at April 1 तकनीकी/विवेकपूर्ण का प्रारंभिक शेष, 1 अप्रैल को खाते बंद कर दिए गए		
Add : Technical / Prudential write offs during the year जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलेखन		
Sub-total (A)	Nil	Nil
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written off accounts during the year (B) घटाएं: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलेखित खातों से की गई वसूली (बी)		
Closing balance as at March 31 (A-B) 31 मार्च (ए-बी) के अनुसार अंतिम शेष		

3.7 Overseas Assets, NPAs and Revenue/ विदेशी संपत्ति, एनपीए और राजस्व

(Rs crore)

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
Total Assets/ कुल संपत्ति		
Total NPAs/ कुल एनपीए	Nil	Nil
Total Revenue/ कुल मुनाफा		

3.8 Depreciation and provisions on investment/ मूल्यहास और निवेश पर प्रावधान

(Rs crore)

Particulars	FY 2023-24	FY 2023-24
(1) Investments/ निवेश		
(i) Gross Investments/ सकल निवेश	100.00	4464.58
(a) In India/ भारत में	100.00	4464.58
(b) Outside India/ भारत के बाहर	-	-
(ii) Provisions for Depreciation/ मूल्यहास के प्रावधान	(0.77)	0.77
(a) In India/ भारत में	(0.77)	0.77
(b) Outside India/ भारत के बाहर	-	-
(iii) Net Investments/ शुद्ध निवेश	100.00	4463.81
(a) In India/ भारत में	100.00	4463.81
(b) Outside India/ भारत के बाहर	-	-
(1) Movement of provisions held towards depreciation on investments/ निवेश पर मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधानों का संचलन		
(i) Opening balance/ प्रारंभिक शेष	0.77	-
(ii) Add: Provisions made during the year जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	0.77
(iii) Appropriation, if any, from Investment	-	-

Fluctuation Reserve Account during the year/ वर्ष के दौरान निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित खाते से विनियोग, यदि कोई हो		
(iv) Less: Write off / write back of excess provisions during the year/ घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/वापसी करना	(0.77)	-
(v) Closing balance/ अंतिम शेष	-	0.77

3.9 Provisions and Contingencies/ प्रावधान और आकस्मिकताएं

(Rs crore)

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
Provisions for depreciation on Investment/ निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	-	0.77
Provision towards NPA/ एनपीए के लिए प्रावधान	-	-
Provision made towards Income tax/ इनकम टैक्स के लिए किया गया प्रावधान	-	-
Other Provision and Contingencies/ अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (मानक संपत्तियों पर प्रावधान)	141.37	39.01

3.10 Provisioning Coverage Ratio (PCR)/ प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)

NA. Nil NPAs as on March 31, 2023 and March 31, 2024

4. Investment portfolio: constitution and operations/ निवेश पोर्टफोलियो: संविधान और संचालन

4.1 Repo Transactions/ रेपो लेनदेन

(Rs crore)

	Minimum outstanding during the Year/ वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	Maximum outstanding during the Year/ वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	Daily Average outstanding during the Year/ वर्ष के दौरान बकाया दैनिक औसत	Outstanding as on March 31, 2023/ 31 मार्च 2023 को बकाया
Securities sold under repo/ रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
i. Government securities/ सरकारी प्रतिभूतियां	Nil	Nil	Nil	Nil
ii. Corporate debt securities/ कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ				
Securities purchased under reverse repo/ रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i. Government securities/ सरकारी प्रतिभूतियां	Nil	Nil	Nil	Nil
ii. Corporate debt securities/ कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ				

4.2 Disclosure of Issuer Composition for Investment in Debt securities/ ऋण प्रतिभूतियों में निवेश के लिए जारीकर्ता संरचना का प्रकटीकरण

(Rs crore)

Sr. No.	Issuer/ जारीकर्ता	Amount / राशि	Extent of Private Placement/ निजी प्लेसमेंट की सीमा	Extent of 'Below Investment Grade' Securities/ निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूतियों की सीमा	Extent of 'Unrated' Securities/ 'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा	Extent of 'Unlisted' Securities/ 'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i)	PSUs					
(ii)	Fis					
(iii)	Banks					
(iv)	Private Corporates					
(v)	Subsidiaries / Joint Ventures					
(vi)	Others	100.00	100%	Nil	Nil	100%
(vii)	Provision held towards depreciation					
	Total *	100	100%	Nil	Nil	100%

4.3 Sale and Transfers to / from HTM Category/ बिक्री और एचटीएम श्रेणी से / के लिए स्थानांतरण

There were no sale and transfers to/from HTM category/ एचटीएम श्रेणी में/से कोई बिक्री और हस्तांतरण नहीं हुआ था।

5. Details of Financial Assets purchased/ sold/ खरीदी/बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

5.1 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction/ परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

A. Details of Sales/ बिक्री का विवरण

(Rs crore)

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
(i) No. of accounts/ खातों की संख्या		
(ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC/ एससी/आरसी को बेचे गए खातों का सकल मूल्य (प्रावधानों का शुद्ध)		
(iii) Aggregate consideration/ सकल विचार	Nil	Nil
(iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years/ पिछले वर्षों में स्थानांतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल		
(v) Aggregate gain / loss over net book Value/ नेट बुक पर सकल लाभ/हानिकीमत		

B. Details of Book Value of Investments in Security Receipts/ सुरक्षा प्राप्तियों में निवेश के बही मूल्य का विवरण

Particulars	Book value of investments in security receipts	
	FY 2023-24	FY 2022-23
(i) Backed by NPAs sold by the AIFIs underlying/ एआईएफआई द्वारा अंतर्निहित के रूप में बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित		
(ii) Backed by NPAs sold by banks /other financial institutions / non- banking financial companies as underlying/ अंतर्निहित के रूप में बैंकों / अन्य वित्तीय संस्थानों / गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित	Nil	Nil
Total	Nil	Nil

5.2 Details of Non-Performing Financial Assets Purchased / Sold**खरीदी/बेची गई गैर-निष्पादित वित्तीय संपत्तियों का विवरण**

- A. Details of non-performing financial assets purchased/ खरीदी/बेची गई गैर-निष्पादित वित्तीय संपत्तियों का विवरण

(Rs crore)

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
1. (a) No. of accounts purchased during the Year/ वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या		
(b) Aggregate outstanding/ कुल बकाया		
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year/ इनमें से, वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	Nil	Nil
(b) Aggregate outstanding/ कुल बकाया		

- B. Details of non-performing financial assets sold/ बेची गई गैर-निष्पादित वित्तीय संपत्तियों का विवरण::

(Rs crore)

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
1. No. of accounts sold/ बेचे गए खातों की संख्या		
2. Aggregate outstanding/ सकल बकाया	Nil	Nil
3. Aggregate consideration received/ कुल प्रतिफल प्राप्त हुआ		

6. Operating Results

(Rs crore)

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
(i) Interest Income as a percentage to Working Funds/ वर्किंग फंड्स के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	8.24%	5.33%
(ii) Non interest income as a percentage to Working Funds/ वर्किंग फंड्स के प्रतिशत के रूप में गैर- ब्याज आय	0.68%	0.02%
(iii) Operating Profit as a percentage to Working Funds/ कार्यशील निधि के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	4.93%	5.16%
(iv) Return on Assets/ एसेट्स पर रिटर्न	4.63%	4.98%
(v) Net Profit per employee (Rs in crore) / प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये में)	20.27	23.25

7. Credit Concentration risk/ क्रेडिट एकाग्रता जोखिम

7.1 Capital market exposure/ पूंजी बाजार एक्सपोजर

(Rs crore)

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
(i) direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt; इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है;	Nil	Nil
(ii) advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds; शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी ओरिएंटेड म्युचुअल फंड की		

<p>इकाइयों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर अग्रिम;</p>		
<p>(iii) advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;</p> <p>किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है</p> <p>(iv) advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds `does not fully cover the advances;</p> <p>शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जहां शेयर / परिवर्तनीय बॉन्ड / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक सुरक्षा ` अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करता है</p> <p>(v) secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;</p> <p>स्टॉक ब्रोकर्स को सुरक्षित और असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर्स और मार्केट निर्माताओं की तरफ से जारी गारंटी;</p>		

<p>(vi) loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;</p>		
<p>संसाधनों को बढ़ाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बॉन्ड / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के खिलाफ या स्वच्छ आधार पर कंपनियों को स्वीकृत ऋण;</p>		
<p>(vii) bridge loans to companies against expected equity flows / issues; प्रत्याशित इक्विटी प्रवाह/मुद्दों के विरुद्ध कंपनियों को पुल ऋण;</p>		
<p>(viii) underwriting commitments taken up by the AIFI in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds; शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के प्राथमिक मुद्दे के संबंध में एआईएफआई द्वारा हामीदारी प्रतिबद्धताएं</p>		
<p>(ix) financing to stockbrokers for margin trading; मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकर्स को वित्तपोषण;</p>		
<p>(x) all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)</p>		
<p>Total Exposure to Capital Market पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर</p>	Nil	Nil

7.2 Exposure to Country risk/ देश के जोखिम के लिए एक्सपोजर

(Rs crore)

Risk Category/ जोखिम श्रेणी	Exposure (net) as at March 31 / 31 मार्च को एक्सपोजर (शुद्ध)	Provision held as at March 31/ 31 मार्च तक आयोजित प्रावधान	Exposure (net) as at March 31/ 31 मार्च को एक्सपोजर (शुद्ध)	Provision held as at March 31/ 31 मार्च तक आयोजित प्रावधान
	FY 2023-24	FY 2023-24	FY 2022-23	FY 2022-23
Insignificant तुच्छ	Nil	Nil	Nil	Nil
Low/ कम				
Moderate/ उदारवादी				
High/ उच्च				
Very High/ बहुत ऊँचा				
Restricted/ वर्जित				
Off-credit/ ऑफ-क्रेडिट				
Total/ कुल				

7.3 Prudential Exposure Limits - Single Borrower Limit (SGL) / Group Borrower Limit (GBL) exceeded/ प्रूडेंशियल एक्सपोजर लिमिट - सिंगल बॉरोअर लिमिट (एसजीएल) / ग्रुप बॉरोअर लिमिट (जीबीएल) पार हो गई

- (i) The number and amount of exposures in excess of the prudential exposure limits during the year/ वर्ष के दौरान विवेकपूर्ण जोखिम सीमा से अधिक जोखिम की संख्या और राशि

Sl. No.	PAN Number	Borrower Name	Industry Code	Industry Name	Sector	Amount Funded	Amount Non-Funded	Exposure as percentage to capital Funds
1.	NA	NA	NA	NA	NA	Nil	Nil	Nil

- (ii) Credit exposure as percentage to capital funds and as percentage to total assets, in respect of/ निम्नलिखित के संबंध में पूंजीगत निधियों के प्रतिशत के रूप में और कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण जोखिम:

Particulars	As % to total capital funds	As % to total assets
The largest single borrower/ सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	17.58%	9.07%
The largest borrower group/ सबसे बड़ा कर्जदार समूह	19.33%	9.98%
The 20 largest single borrowers/20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	153.73%	79.33%
The 20 largest single borrowers groups/ 20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता समूह	170.17%	87.81%

- (iii) Credit exposure to the five largest industrial sectors (if applicable) as percentage to total loan assets/ कुल ऋण आस्तियों के प्रतिशत के रूप में पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों (यदि लागू हो) के लिए ऋण जोखिम

Industrial Sector (as per Harmonized List of Infrastructure) / औद्योगिक क्षेत्र (अवसंरचना की सुसंगत सूची के अनुसार)	Credit exposure as % to total loan asset/ कुल ऋण परिसंपत्ति के % के रूप में ऋण जोखिम
1. Power Generation/	51.05%
2. Roads/ सड़कें	32.79%
3. Railways/ रेलवे	10.36%

4. Power Distribution/	2.91%
5. City Gas Distribution/	1.90%
Total/ कुल	99.01%

(iv) Total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken as also the estimated value of such intangible collateral. The disclosure shall be made under a separate head to differentiate such loans from other entirely unsecured loans./ अग्रिमों की कुल राशि जिसके लिए अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे कि अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि पर प्रभार लिया गया है और साथ ही ऐसे अमूर्त संपाशिवक का अनुमानित मूल्य भी लिया गया है। इस तरह के ऋणों को अन्य पूरी तरह से असुरक्षित ऋणों से अलग करने के लिए प्रकटीकरण एक अलग शीर्षक के तहत किया जाएगा : Rs. 6,041.36 Crores

(v) Factoring exposures/ फैक्ट्रिंग एक्सपोजर: Nil

(vi) Exposures where the FI had exceeded the Prudential Exposure Limits during the year/ वे एक्सपोजर जहां FI ने वर्ष के दौरान प्रूडेंशियल एक्सपोजर सीमा को पार कर लिया था: Nil

7.4 Concentration of borrowings /lines of credit, credit exposures and NPAs (to be shown separately/ उधार/क्रेडिट लाइन, क्रेडिट एक्सपोजर और एनपीए का संकेंद्रण (अलग से दिखाया जाना है)

(a) Concentration of borrowings and lines of credit/ उधार और ऋण की रेखाओं का संकेंद्रण:

(Rs crore)

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
Total borrowings from twenty largest lenders/बीस सबसे बड़े उधारदाताओं से कुल उधार	5,550.00	Nil
Percentage of borrowings from twenty largestlenders to total borrowings of the AIFI/ एआईएफआई के कुल उधारों में बीस सबसे बड़े ऋणदाताओं से उधार का प्रतिशत	100.00%	Nil

(b) Concentration of credit exposures/ क्रेडिट एक्सपोजर की एकाग्रता

(Rs crore)

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
Total exposures to twenty largest borrowers/ बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के लिए कुल जोखिम	43,731.31	16,298.46
Percentage of exposures to twenty largest borrowers to Total Advances of the AIFI/ एआईएफआई के कुल अग्रिमों के लिए बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के जोखिम का प्रतिशत	85.53%	100.00%
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers/ बीस सबसे बड़े कर्जदारों/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	43,731.31	16,298.46
Percentage of exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the AIFI on borrowers / customers उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर एआईएफआई के कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	85.53%	100.00%
In the case of EXIM Bank, percentage of total of top ten country exposures to total exposures/ एक्जिम बैंक के मामले में, कुल एक्सपोजर की तुलना में शीर्ष दस देशों के कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	NA	NA

(c) Sector-wise concentration of exposures and NPAs/ जोखिम और एनपीए का क्षेत्र-वार संकेंद्रण

<i>Industrial Sector (as per Harmonized List of Infrastructure)</i>	<i>Credit exposure % to Main Sector indicated in 3.4.2 (iii) above</i>
1 (a) Roads – HAM/ सड़कें - एचएएम	41.90% of Roads
1 (b) Roads – Toll/ सड़कें - टोल	58.10% of Roads
2 (a) Renewable Generation	69.32% of Power Generation
2 (b) Other Generation	30.68% of Power Generation
3. Railway Rolling Stock & Warehousing	100.00% of Railways
4. Power Transmission & Distribution	100.00% of Power Distribution
6. City Gas Distribution	100.00% of City Gas distribution

7.5 Unhedged Foreign Currency Exposure/ अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर: Nil

8. Derivatives/ संजात

8.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap/ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट / इंटरेस्ट रेट स्वेप

(Rs crore)

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
i) The notional principal of swap agreements/ अदला-बदली करारों का कल्पित सिद्धांत	Rs. 24,500 Cr (Gross amount) Rs. 18000 Cr (Received Position) Rs 6500 Cr (Paid Position)	Nil/ शून्य
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements./ यदि प्रतिपक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है तो वह नुकसान होगा	Counterparties have MTM payment and interest on collateral placed as their obligations under the trade. For MTM payment, Variation Margin is exchanged on a daily basis on T+1 or T+2 basis. Hence, there will be mismatch to that extent. Further, losses may arise on account of non-exchange of such margin only with the counterparties, with whom, NaBFID is running net positive MTM. As on 31st March 2024, such amount was 41.05 Cr. Interest receivable on collateral as on 31st March 2024 was Rs 17.58 Lakh. / काउंटरपार्टियों को ट्रेड के तहत उनकी कर्ज संचयन की और गिरावट पर आई धनजमा के लिए एमटीएम भुगतान है। एमटीएम भुगतान के लिए, वेरिएशन मार्जिन टी + 1 या टी + 2 आधार पर रोजाना विनिमय किया जाता है।	Nil/ शून्य

	<p>इसलिए, उस स्तर तक असमंजस होगा। इसके अलावा, नुकसान केवल उन काउंटरपार्टियों के साथ हो सकते हैं, जिनके साथ, नैबफिड का धनजमा धनजमा चल रहा है। 31 मार्च 2024 को, ऐसी राशि 41.05 करोड़ थी। 31 मार्च 2024 को गिरावट पर प्राप्त ब्याज 17.58 लाख रुपये थे।</p>	
<p>iii) Collateral required by the AIFI upon entering into swaps/ स्वैप में प्रवेश करने पर एआईएफआई द्वारा आवश्यक संपार्श्विक</p>	<p>There is no requirement of collateral for entering into the swaps at inception. However, with movements in interest rates, MTM to either party varies. Accordingly, Variation Margin in cash is exchanged between the counterparties which acts as the collateral for the trade. As on 31.03.2024, NaBFID placed a margin of Rs 49.45 Cr (gross Margin) and received a margin of Rs 124.87 Cr (Gross margin) as on 31.03.2024/ स्वैप में प्रवेश के लिए गिरवी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, ब्याज दरों में चलन के साथ, किसी भी पक्ष के लिए एमटीएम बदलती है। इसके अनुसार, विभिन्न काउंटरपार्टियों के बीच नकद में विभिन्नता मार्जिन विनिमय किया जाता है जो व्यापार के लिए गिरवी के रूप में कार्य करता है। 31.03.2024 को, नैबफिड ने 49.45</p>	<p>Nil/ शून्य</p>

	करोड़ रुपये का मार्जिन (कुल मार्जिन) रखा और 31.03.2024 को 124.87 करोड़ रुपये (कुल मार्जिन) का मार्जिन प्राप्त किया।	
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps/ स्वैप से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	NaBFID has diversified swap transactions with four counterparties which mitigates the credit concentration risk. Further, variation margin is exchanged on a daily basis which takes care of any positive MTM arising out of the trade. Accordingly, Concentration of credit risk on account of swaps is Nil/ नैबफिड ने चार प्रतिपक्षों के साथ स्वैप लेनदेन में विविधता लाई है जो क्रेडिट एकाग्रता जोखिम को कम करता है। इसके अलावा, दैनिक आधार पर परिवर्तन माजन का आदान-प्रदान किया जाता है जो व्यापार से उत्पन्न होने वाले किसी सकारात्मक एमटीएम का ध्यान रखता है। तदनुसार, स्वैप के कारण ऋण जोखिम का संकेन्द्रण शून्य है।	Nil/ शून्य
v) The fair value of the swap book/ स्वैप बही का उचित मूल्य	Positive Rs 129.80 Cr as on 31st March 2024/ 31 मार्च 2024 को 129.80 करोड़ रुपये की सकारात्मक संख्या।	Nil/ शून्य

8.2 Exchange Traded Interest Rate Derivative/ एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव

(Rs crore)

Particulars		FY 2023-24	FY 2022-23
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)/ वर्ष के दौरान किए गए एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखत वार)	Nil	Nil
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March / 31 मार्च को बकाया एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि	Nil	Nil
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)/ एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव बकाया और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं (इंस्ट्रूमेंट वार) की कल्पित मूल राशि	Nil	Nil
(iv)	Mark to market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not 'highly effective' (instrument wise)/ एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव का बाजार मूल्य बकाया और 'अत्यधिक प्रभावी' नहीं (इंस्ट्रूमेंट वार)	Nil	Nil

8.3 Disclosures on risk exposure in derivative/ व्युत्पन्न में जोखिम राशि पर प्रकटीकरण:

(i) Qualitative disclosures/ गुणात्मक प्रकटीकरण:

AIFIs shall discuss their risk management policies pertaining to derivatives with particular reference to the extent to which derivatives are used, the associated risks and business purposes served. The discussion shall also include/ AIFIs अपनी विशेषता वाली डेरिवेटिव्स संबंधित जोखिम प्रबंधन नीतियों पर चर्चा करेंगे जिसमें डेरिवेटिव्स का उपयोग किस स्तर

तक होता है, संबंधित जोखिम और व्यावसायिक उद्देश्यों की व्याख्या की जाएगी। चर्चा में शामिल होगा:

- (a) the structure and organization for management of risk in derivatives trading/ डेरिवेटिव ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन:

NaBFID is using derivatives solely for hedging the interest rate risk in banking book arising on account of mismatches in repricing assets and liabilities. NaBFID has not undergone any derivatives transaction for trading purpose during the period under review/ नैबफिड केवल बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव का उपयोग कर रहा है, जो परिसंपत्तियों और देनदारियों के पुनर्मूल्यांकन में बेमेल के कारण उत्पन्न होता है। नैबफिड ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान ट्रेडिंग उद्देश्य के लिए कोई डेरिवेटिव लेनदेन नहीं किया है।

- (b) the scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems/ जोखिम माप, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणाली का दायरा और प्रकृति:

NaBFID has put in place internal policies and guidelines approved by the Board for dealing in derivatives. System has been put in place to measure and monitor the MTM and sensitivities of the derivatives transactions/ नैबफिड ने डेरिवेटिव्स में कारोबार के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक नीतियां और दिशानिर्देश लागू किए हैं। एमटीएम और व्युत्पाद लेनदेनों की संवेदनशीलता को मापने और निगरानी करने के लिए प्रणाली स्थापित की गई है।

- (c) policies for hedging and / or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants/ हेजिंग और/या जोखिम को कम करने के लिए नीतियां और हेजेज/शमन की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए रणनीतियों और प्रक्रियाओं :

and Approval from competent authority is taken for all the derivatives transactions before entering deals. NaBFID has also put in place derivative and hedging policy approved by the Board for dealing in derivatives. All the hedging transactions are reported to ALCO and RMC of the Board for evaluating hedge effectiveness and other risk limits and effective measures are taken to ensure their effectiveness. To mitigate credit concentration risk, derivative trades are spread across various counterparties/ और सौदों में प्रवेश करने से पहले सभी व्युत्पाद लेनदेन के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिया जाता है। नैबफिड ने डेरिवेटिव्स में कारोबार के

लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्युत्पन्न और हेजिंग नीति भी लागू की है। सभी हेजिंग लेनदेन की सूचना बोर्ड के एल्को और आरएमसी को हेज प्रभावशीलता और अन्य जोखिम सीमाओं के मूल्यांकन के लिए दी जाती है और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाते हैं। क्रेडिट एकाग्रता जोखिम को कम करने के लिए, व्युत्पन्न व्यापार विभिन्न प्रतिपक्षों में फैले हुए हैं।

- (d) accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation/ हेज और गैर-हेज लेनदेन रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन नीति; आय, प्रीमियम और छूट की मान्यता; बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम शमन।

NaBFID has Board approved Accounting Policy and Hedge Policy in place for these aspects/ नैबफिड ने इन पहलुओं के लिए लेखा नीति और हेज नीति को मंजूरी दे दी है।

(ii) Quantitative disclosures/ मात्रात्मक प्रकटीकरण:

Sr. No	Particular/ विवरण	Current Year/ वर्तमान वर्ष		Previous Year/ पिछला वर्ष	
		Currency Derivatives/ मुद्रा डेरिवेटिव्स	Interest rate derivatives/ ब्याज दर डेरिवेटिव्स	Currency Derivatives/ मुद्रा डेरिवेटिव्स	Interest rate derivatives/ ब्याज दर डेरिवेटिव्स
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)/ डेरिवेटिव्स (आकलनीय मूल राशि)	-		-	-
	a) For hedging/ बचाव के लिए	-	24,500	-	-
	b) For trading/ व्यापार के लिए	-	NIL	-	-
(ii)	Marked to Market Positions/ बाजार स्थिति के लिए चिह्नित ^[1]	-		-	-

	a) Asset/ संपत्ति (+)	-	176.91	-	-
	b) Liability/ दायित्व (-)	-	-47.1	-	-
(iii)	Credit Exposure/ ऋण प्रकटन ^[2]		716.91	-	-
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate/ ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*PV01)	-		-	-
	a) on Derivatives/ डेरिवेटिव्स पर	Hedging/ बचाव	1,415.62	-	-
	b) on Derivatives/ डेरिवेटिव्स पर				
	a) on Derivatives/ डेरिवेटिव्स पर	Trading/ व्यापार	-	-	-
b) on Derivatives/ डेरिवेटिव्स पर					
(v)	Maximum and Minimum of/ अधिकतम और न्यूनतम	-		-	-
	100*PV01 observed during the year/ वर्ष के दौरान देखा गया				
	a) on hedging/ बचाव पर	-	1,436.00/17.52	-	-
	b) on trading/ व्यापार पर	-	-	-	-

9. Disclosure of Letters of Comfort (LoCs)/ लेटर ऑफ कम्फर्ट (LoCs) का प्रकटीकरण

(Rs crore)

Particulars	FY 2023-24	FY 2022-23
Letter of Comfort (LoCs) – issued during the year/ लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) - वर्ष के दौरान जारी किया गया	483.83	270.00
Assessed financial impact/ आकलन वित्तीय प्रभाव	Standard & Regular/ मानक और नियमित	Standard & Regular/ मानक और नियमित
Assessed cumulative financial obligation under LoC's – past and outstanding/ एलओसी के तहत निर्धारित संचयी वित्तीय दायित्व - अतीत और बकाया	733.83	270.00
Cumulative outstanding LoCs	665.52	270.00

10. Asset Liability Management/ परिसंपत्ति देयता प्रबंधन:

(Rs in crore)

	1 to14 days	15 to28 days	29 daysto 3 month	Over 3 month& up to 6 monh	Over 6 Month& up to1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years& up to 5 years	Over5 years	Total
Deposits/ जमा	2415.10	1750.00	1500.00	0.00	12550.63	0.00	0.00	0.00	18215.74
Advances/ आस्तिया	0.00	0.00	160.02	187.58	350.92	2324.29	4541.49	27778.06	35342.38
Investments / निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Borrowings/ उधार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.97	1871.83	22610.20	25066.00
Foreign Currency assets/ विदेशी मुद्रा संपत्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Foreign Currency liabilities/ विदेशी मुद्रा दायित्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

11. **Draw Down from Reserve/ रिजर्व से ड्रा डाउन:** No draw-downs were made from reserves during FY 2023-24/ वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी आरक्षाओं से धन निकाला नहीं गया था।

12. **Business Ratios/ व्यापार अनुपात**

(Rs crore)

Particulars/ विवरण	FY 2023-24	FY 2022-23
Return on Equity/ लाभांश	5.83%	4.06%
Return on Assets/ संपत्ति पर वापसी	4.63%	4.98%
Net Profit Per Employee *(Rs in crore)/ प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये में)	20.27	23.25

* including employees on deputation/ प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों सहित

13. **Disclosure of Penalties imposed by RBI/ आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने का खुलासा:** Nil/ शून्य

14. **Disclosure of Complaint/ शिकायत का खुलासा:** No complaints received from customers during FY 2023-24/ वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई शिकायत ग्राहकों से प्राप्त नहीं हुई।

15. **Off-Balance Sheet SPVs Sponsored/ तुलन-पत्र से इतर एसपीवी प्रायोजित:** Nil/ शून्य

16. **Disclosure as per specific accounting standards/ विशिष्ट लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण**

16.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies/ लेखा मानक 5 - अवधि के लिए नेट लाभ या हानि, पूर्व अवधि आइटम और लेखा नीतियों में परिवर्तन:

No changes made having financial impact for FY 2023-24 vis-à-vis FY 2022-23/ वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में 2022-23 के अनुप्राणित कोई भी वित्तीय प्रभाव वाला परिवर्तन नहीं किया गया।

16.2 Accounting Standard 17 – Segment Reporting/ लेखा मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग: NaBFID provides finance to infrastructure sector only and therefore no primary business segments are identified for reporting for the purposes of compliance with Accounting Standard 17 on segment reporting/ नैबफिड केवल बुनियादी ढांचे क्षेत्र को वित्त प्रदान करता है और इसलिए लेखा मानक 17 के खंड रिपोर्टिंग के अनुपालन के उद्देश्यों के लिए कोई प्राथमिक व्यावसायिक खंड पहचान नहीं किए गए हैं।

16.3 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosure/ लेखा मानक 18 - संबंधित पक्ष का खुलासा

As per AS-18 Related Party Disclosures issued by the ICAI, the related parties are disclosed below/ आईसीएआई द्वारा जारी एस-18 संबंधित पार्टि प्रकटीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों का खुलासा नीचे किया गया है:

Key Managerial Personnel/ मुख्य प्रबंधनीय कर्मचारी	Remuneration and allowances in FY 23-24/ वित्त वर्ष 23-24 में पारिश्रमिक और भत्ते
(i) Mr. Rajkiran Rai G/ श्री राजकिरण राय जी, Managing Director/ प्रबंध निर्देशक (ii) Mr. B. S. Venkatesha/ श्री बी एस वैकटेश, Deputy Managing Director - Chief Risk Officer/ उप प्रबंध निर्देशक - मुख्य जोखिम अधिकारी (iii) Ms. Monika Kalia/ सुश्री मोनिका कालिया, Deputy Managing Director, Chief Financial Officer/ उप प्रबंध निर्देशक - मुख्य वित्तीय अधिकारी (iv) Mr. Samuel Joseph Jebaraj/ श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज, Deputy Managing Director – Lending and Project Finance/	Rs 11,43,90,000/-

उप प्रबंध निर्देशक - उधार और परियोजना वित्त (v) Ms Aishwarya Mhatre/ सुश्री ऐश्वर्या म्हात्रे, Company Secretary/ कंपनी सचिव	
--	--

17. Unamortised Pension and Gratuity Liabilities/ अपरिशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी देयताएं:

The Bank operates defined contribution plans for its employees pertaining to gratuity liability. The accruals are recognised in full during the period in which they occur in the statement of profit and loss and a corresponding gratuity liability account is maintained/ बैंक अपने कर्मचारियों के लिए सम्पादित योगदान योजनाओं को संबंधित रिती दायित्व के संबंध में संचालित करता है। योजना के अनुसार योगदान को पूर्णतया उन वर्षों में मान्यता दी जाती है जिनमें ये घटनाएँ मुनि होती हैं लाभ और हानि के विवरण में, और एक संबंधित रिती दायित्व खाता बनाए रखा जाता है।

For J Singh & Associates/ कृते जे सिंह एंड एसोसिएट्स
Chartered Accountants/ सनदी लेखाकार
FRN./ फर्म पंजीकरण संख्या 110266W

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

J Singh/ जे सिंह Partner/ साझेदार M.No./ सदस्यता संख्या 042023	T. N. Manoharan /टी.एन. मनोहरन (Director) /(निदेशक) DIN: 01186248	Rajkiran Rai G /राज किरण राय जि (Managing Director) /(प्रबंध संचालक) DIN: 07427647	Monika Kalia /मोनिका कालिया (DMD-CFO) /(डीएमडी-सीएफओ) DIN:08579733
--	---	--	--

Place: Mumbai/ स्थान - मुंबई Date: April 16, 2024 दिनांक: अप्रैल 16, 2024	Samuel Joseph Jebaraj /शमूएल जोसफ जेबराज (DMD-L&PF) (डीएमडी-एल एंड पीएफ) DIN: 02262530	B. S. Venkatesha /बी. एस. वेंकटेशा (DMD-CRO) (डीएमडी-सीआरओ) DIN: 08489577	Behzad Bhesania /बेहज़ाद भेसानिया (Head Finance) (विभाग प्रमुख, वित्त)
--	---	---	---